रेड एलर्ट

भारत में सैक्स–एजुकेशन का षड्यंत्र

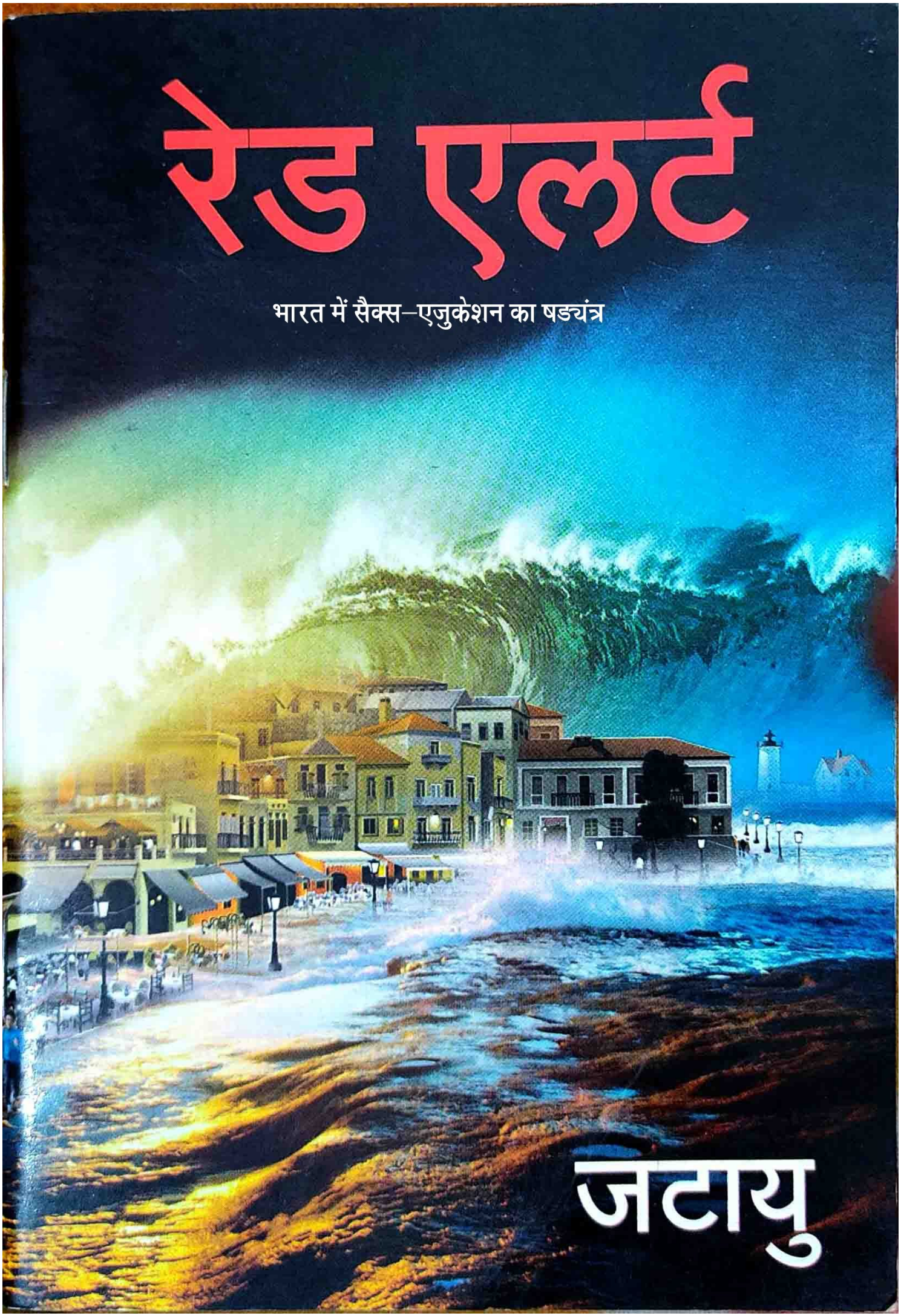

जटायु

RED ALERT
by Jatayu

© जटायु

प्रथम आवृत्ति : २००७
नकल : ५०००

मूल्य : ६-००

प्रकाशक :
विनियोग परिवार
बी-२/१०४, वैभव जांबली गली, बोरीवली (वेस्ट), मुंबई – ४०० ०९२
फोन नं. : २८९९ १७८१ / २८९८०७४९

प्राप्ति स्थान :
नवभारत साहित्य मंदिर
देरासर के पास, गांधी रोड, अमदावाद – ३८० ००१
E-mail : info@navbharatonline.com
Visit us at : www.navbharatonline.com

श्री जयेशभाई देसाई
C/o. एच. एम. शाह एन्ड कुं.
९ - तेलगली, सीचागंज, इन्दोर – ४५२ ००७
फोन नं : (ओ) २५३५३६३, (मो) ०९४२५०८२८१९

श्री नीतीन दुग्गड
C/o. जी. सी. जे. शेर ब्रोकर लि.
१९६८ - शीश महल, किनारी बाजार, दिल्ली – ११० ००६
फोन नं : २३२७११४५, २३२५५४५६, २३२६३५२३, २३२५५४५९

टाइप सेटिंग : प्रिन्ट पोइंट, २३, ४था माला, इलोरा कोम. से., अमदावाद-१

मुद्रक :
यश प्रिन्टर्स, ३९, फरियावाला एस्टेट, अवतार होटल के सामने
ईसनपुर, नारोल हाईवे, अमदावाद – ३८२ ४४३

प्रकाशक की प्रस्तावना

भारत सरकार ने उसके मानव-संसाधन विकास मंत्रालय (जिसे पहले शिक्षा मंत्रालय कहा जाता था) में एक निर्णय लेकर माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रीय बोर्ड (CBSE) के साथ संलग्न सभी स्कूलों में पूरे देश में सन् २००७ से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष से यौन-शिक्षा देना तय किया है । उसके लिये स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना भी शुरू हो गया है ।

इस निर्णय ने सारे देश में खलबली मचाई है। अभिभावक व विद्यार्थी तथा सरकारी अंकुश से बाहर के शिक्षा-विद् एक स्वर में इसका विरोध कर रहे हैं। सरकारी अंकुश के नीचे दबे शिक्षा-विद् भी दबी हुई आवाज में व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध कर रहे हैं।

सरकार इस शिक्षा को शुरू करने के निर्णय के मूल में देश में फैलते एच.आई.वी. और एइड्स के रोग के नियंत्रण का बहाना दे रही है । यह एक सरासर झूठ है । यह सरकार का अपना स्वतंत्र व समझदारी पूर्वक का निर्णय नहीं है । इसके मूल कहीं और दबे पड़े हैं, जो जनसामान्य के ख्याल में नहीं आते । इसके मूल हैं UNFPA (United Nations Population Fund) में, जो युनाइटेड नेशन्स की एक शाखा है । इस संस्था की सन् १९९४ में काईरो में

आयोजित एक आंतरराष्ट्रीय परिषद में १७९ देशों के प्रतिनिधियों ने अन्य विषयों के अलावा प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य पर कुछेक सर्व सम्मत (?) करार किये (सर्वसम्मत करारों के नाम पर युनाइटेड नेशन्स के परदे के पीछे पश्चिमी महासत्तायें उनके निर्णय सारे विश्व पर थोप देती हैं, जिसके अनेक उदाहरण हैं) । इस करार में सन् २०१५ को लक्ष्यांक बनाकर कुछ कार्यक्रम तय किये गये, जिसमें से एक कार्यक्रम स्कूली बच्चों को यौन-शिक्षा देने का भी है ।

इन्टरनेट से इस विषय पर एक लेख मिला है, जिसमें यह जानकारी है ।

समस्त जीवसृष्टि के आंतरराष्ट्रीय मालिक बन बैठे युनाइटेड नेशन्स के इस आदेश को सर चढाकर भारत सरकार स्कूल के निष्पाप और फूल से पवित्र बच्चों को यौन-शिक्षा देकर जिस विष के बीज बो रही है उसका विविध दृष्टिकोणों से विवेचन इस पुस्तिका की छोटी छोटी टिप्पणियों में किया गया है, जो समस्त राष्ट्र के अंत:करण को झकझोर देगा ।

आध्यात्मिक विश्व के शिखर पर बैठा भारत देश और उसकी संस्कृति, पश्चिम की पाशवी संस्कृति को हमेशा से खटकती रही है । पश्चिम द्वारा प्रस्थापित अनात्मवादी भौतिकवाद के क्षेत्र में भी भारत तेजी से अग्रसर है । इस भारतीय संस्कृति के विनाश के लिये बनाये गये षडयंत्र के एक भाग-रूप सप्त-व्यसनों की

बाढ़ इस देश में प्रवाहित होनी है । इस संस्कृति के शील और सदाचार, परिवार व विवाह संस्था को तोड़ने के लिये निरंकुश मैथून को प्रचलित करना है और उस निरंकुशता को प्रोत्साहित करने के लिये गर्भ-निरोधक साधन बनानेवाली बहुराष्ट्रीय कंपनीयों के उत्पादों का विशाल बाजार इस देश में विकसित करना है । इस तरह के दोहरे लक्ष्यों वाला यह कार्यक्रम है ।

खैर ! चाहे जिन उद्देश्यों से सरकार में पदस्थ पदाधिकारीयों ने स्कूलों में यौन-शिक्षा देने का निर्णय किया हो, हम उन पदाधिकारीयों से हृदय के दर्द के साथ विनती करते हैं कि वे शांत चित्त से इस पुस्तिका को पढें और करोडों बालकों के शील-सदाचार की सुरक्षा के लिये इस निर्णय को सदा के लिये दफना दें ।

इस देश के करोडों माँ-बाप और गौरवशाली पूर्वपुरुष आपको हृदय से आशीष देगें ।

हाँ, सारे देश के अभिभावकों से भी हम विनती करते हैं कि उनके बच्चों को दिये जानेवाले यौन-शिक्षण का वे एकजुट होकर प्रचंड से प्रचंड विरोध करें ।

–प्रकाशक

अनुक्रमणिका

१.	कुदरत का काम कुदरत को ही करने दें	१
२.	धूल-मिट्टी में खेलने की उम्र में काम-क्रीड़ा का शिक्षण : एक विस्फोटक विचार	३
३.	जो क्रियायें गुप्त रखने योग्य हों, उनकी सार्वजनिक चर्चा नहीं होती	५
४.	चार खण्डों में विभक्त मनोवैज्ञानिक आर्य जीवन-व्यवस्था	७
५.	प्रशिक्षण की प्राथमिक शर्त : परिपक्वता और पात्रता	९
६.	एड्स का मूल कारण सेक्स का अज्ञान नहीं, सेक्स का अतिरेक है	१२
७.	यौन-शिक्षा : विद्यार्थियों के करियर का कब्रिस्तान बनेगी	१४
८.	इसमें यौन-शिक्षा की आवश्यकता ही कहाँ है ?	१६
९.	रोग चिन्ताजनक है, पर प्रायोजित इलाज जानलेवा है	१८
१०.	यौन-शिक्षा से सरस्वती मंदिर की गरिमा नष्ट होगी	२०
११.	क्या यौन-शिक्षा के ये वास्तविक दुष्परिणाम स्वीकार्य हैं ?	२२
१२.	यौन-शिक्षा पारिवारिक व्यवस्था में विक्षोभ पैदा करेगी	२४
१३.	आतंकवाद पर काबू पाने के लिये बच्चों के हाथों में बन्दूक नहीं दी जा सकती	२६

अनुक्रमणिका

१४. आज की जरूरत सेक्स की शिक्षा नहीं, सदाचार की शिक्षा है २८

१५. यौन-शिक्षा का उद्देश्य : सुरक्षित सम्बन्ध या असुरक्षित चरित्र ? ३०

१६. शिक्षण वृत्ति का नहीं, वृति-संयम का होना चाहिए ३२

१७. एड्स पर अंकुश के लिए यौन-शिक्षा की नहीं, जन-जागरण की आवश्यकता है ३४

१८. जल्दी जगाई गई भूख और भोजन बहुत देर से : परिणाम क्या होगा ? ३६

१९. यौन-शिक्षण द्वारा एड्स का प्रतिकार : शेखचिल्ली का हवाई महल ३८

२०. सर्वेक्षण और आंकड़ों का खेल : बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मायाजाल ४०

२१. एच.आई.वी.-एड्स : कितनी हकीकत, कितना हौवा ? ४३

२२. निश्चित ही दाल में कुछ काला है ! ४६

२३. यूरोप और अमेरिका की नकल : मौत से खिलवाड़ ४८

२४. शिक्षित भी रोग फैला सकते हैं, जरूरत है सज्जनों को पैदा करने की ५१

अनुक्रमणिका

२५. यदि किसी अनिष्ट पर अंकुश न लग सके तो उसे इष्ट नहीं मान लिया जाता ५३

२६. आचरणहीन शिक्षा व्यर्थ है ५५

२७. नुकसान निश्चित, लाभ संदेहास्पद : यह दुःसाहस है या मूर्खता ? ५७

२८. विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक सभी यौन शिक्षा के खिलाफ हैं ५९

२९. विद्यालय में विद्यार्थियों को 'यौन'-शिक्षा की नहीं, 'योग'-शिक्षा की जरूरत है ६१

३०. यौन-शिक्षा और भारतीय संस्कृति की राशियाँ आपस में नहीं मिलतीं ६३

३१. यौन-विषयक मार्गदर्शन डॉक्टरों का कार्य-क्षेत्र है, शिक्षकों का नहीं ६५

३२. जागृति यज्ञ में हमारा क्या योगदान हो ? ६७

[१]
कुदरत का काम कुदरत को ही करने दें

कुदरत इस पृथ्वी पर जीवन का, सृष्टि का सुचारु रूप से संचालन करती है। इसके लिए उसकी अपनी व्यवस्थायें हैं। जीव सृष्टि के लिए कुदरत ने इस पृथ्वी पर बहुत सारी अनुकुलताएँ भी दी हैं। उसे अनेक प्रकार की स्वतंत्रता भी दी है। पर कुछ बातों पर कुदरत ने अपना अधिकार बनाये रखा है। उसके भंडार में जीव जगत के लिए, मनुष्य के लिए बहुत कुछ ऐसा और अज्ञात है, जो प्रकृति उसे सही समय पर साहजिक रूप से उपलब्ध करवा देती है।

यथा समय प्रकृति द्वारा दी जाने वाली अनुकूलता व स्वतंत्रता में से एक है मैथुन-क्रिया। मनुष्य ही नहीं, सृष्टि के प्रत्येक जीव को जीवन-उत्पति के परंपरा निर्वाह के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसकी योग्यता व ज्ञान समय आने पर प्रकृति जीव को स्वयं उपलब्ध करवा देती है।

युगों युगों से मानव जाति इस परंपरा का निर्वाह कर रही है। आज तक किसी भी काल में इसके शिक्षण की आवश्यकता महसूस नहीं की गई क्योंकी समय के साथ सही उम्र आने पर जब उसकी काम वृत्तियाँ सहज रूप से जागृत होने लगती हैं, तभी उसके अन्दर इसके लिए जरूरी ज्ञान भी सहज में ही स्वयं प्रकट हो जाता है।

मानो कि ऐसा एक प्रयोग किया जाय कि तुरन्त ही जन्मे एक

लड़के और लड़की को एकदम अलग-अलग स्थान पर अज्ञातवास में रख दिया जाए, बाहर की दुनिया से उनके सभी प्रकार के संपर्क काट दिए जाएं, मात्र भोजन-पानी की व्यवस्था उनके लिए बाहर से मिलती रहे। इस बीच किसी भी बाहरी व्यक्ति से उनका संपर्क भी न करवाया जाए।

परन्तु, कालान्तर में यौवन काल आने पर जब इनको एक साथ कर दिया जाए, तो यौवन के आवेग में सहज रूप से मैथुन-क्रिया के लिए उन्हें शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

घने व दुरूह जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को कहाँ मिलती है सेक्स-एज्यूकेशन ? कुत्ते बिल्ली आदि विशाल पशु-सृष्टि में निरंतर प्रजनन क्रिया चलती रहती है। उन्हें यह ज्ञान कौन देता है ?

यह सब सिखाने की जिम्मेदारी तो कुदरत की है। यह काम कुदरत का है कि सृष्टि में कब और किसके लिये किस चीज की व्यवस्था करनी है और वह करती भी है।

ईतिहास के विषय का प्रशिक्षण ईतिहास के शिक्षक ही करें, उसमें औचित्य है। उसमें विज्ञान के या गणित के शिक्षक का हस्तक्षेप अनुचित है। जब-जब कुदरत के, प्रकृति के अधिकार क्षेत्र में मानव ने हस्तक्षेप किया है, उसके परिणाम बड़े ही भयानक रहे हैं।

कुदरत के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर हमें और एक दुष्परिणाम का अनुभव करना है ?

[२]

धूल-मिट्टी में खेलने की उम्र में काम-क्रीड़ा का शिक्षण : एक विस्फोटक विचार

बालक पृथ्वी पर प्रभु के पैगम्बर हैं ।

बालक यहाँ पर ईश्वर के संदेशवाहक हैं ।

बालक परम पिता के प्रतिनिधि हैं ।

निर्दोषता, निर्दम्भता और निश्चिंतता बचपन का परिचय-पत्र है । बच्चों का अपना एक अलग और अनोखा कल्पना-संसार होता है । वे भावनात्मक रूप से शुद्ध और वैभवपूर्ण होते हैं । उनके इस भाव-विश्व में माया, कपट, दंभ, अहंकार, आदि विकृतियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है ।

आयु की अपेक्षा से काम-वासना और काम-विकारों के उदय और बचपन में १५-२० सालों की दूरी होती है, परन्तु भाव की अपेक्षा से ये वृत्तियाँ उनसे लाखों योजन दूर होती हैं । उनके विचार में, बातचीत में, व्यवहार में, जिज्ञासाओं और जरूरतों में काम-विचार के लिए कोई अवकाश नहीं होता है । उनकी भोलीभाली बाल- सुलभ निर्दोषता का इन वृत्तियों से कोई मेल नहीं है । बालकों की इस निर्दोष व कोमल आयु में कामक्रीड़ा की शिक्षा देने का विचार ही अत्यंत विस्फोटक है । यह उनके निर्मल और पवित्र भाव-विश्व पर महाविनाशक वज्र प्रहार जैसा, बम-विस्फोट जैसा ही होगा ।

शरीर के जिन अंगों व अवयवों का उपयोग बालक अब तक उत्सर्जन क्रिया के लिए साधन रूप में ही समझता है, उनके अन्य उपयोग और अनुभव का ज्ञान प्रदान करना बालकों की निर्मल बुद्धि में विष घोलने जैसा होगा; और यह पूरी की पूरी पीढ़ी के साथ महा-अपराध होगा ।

बालक तो सहज रूप से अपनी बालक्रीड़ाओं में ही मस्त रहते हैं । उन्हे रातोंरात वयस्क बना देना और उनके शैशव का अपहरण कर लेना किसी भी रूप में उचित नहीं है । उनके पवित्र मन और शरीर को समय से पहले ही अनेक प्रकार के कामुक आवेगों से भर देना एकदम से अप्रासंगिक और गैर-जरूरी है ।

[३]

जो क्रियायें गुप्त रखने योग्य हों, उनकी सार्वजनिक चर्चा नहीं होती

प्रत्येक स्थान का अपना महत्त्व होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। शयनकक्ष का भी अपना अलग व्यक्तित्व होता है। एकान्त (Privacy) और गुप्तता (Secrecy) शयनकक्ष के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग होते हैं। इस अंगों के सुचारु परिपालन में ही मानव-समाज की संरक्षा और सुरक्षा सन्निहित है। इसी कारण से मैथुन-क्रिया के लिए रात्रि का अंधकार और उसमें व्याप्त एकान्त का समय नियत किया गया है।

जो कार्य सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता, उस कार्य की चर्चा सार्वजनिक रूप से कैसे हो सकती है ? मल-मूत्र त्याग की अशुचि क्रियायें शौचालय में ही की जाती हैं। बाहर उनकी चर्चा करना भी असभ्यता मानी जाती है। यह रुचिभंग और जुगुप्सा का कारण बनता है।

विचार करें ! कितने ही गंभीर विषयों पर आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय और समाजनेताओं की मंत्रणा गुप्त होती है। उस गुप्त मंत्रणा की गतिविधि और कार्यवाही को पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। उनको यदि सार्वजनिक कर दिया जाये तो 'गुप्त' विशेषण का

कोई अर्थ नहीं रह जाता ।

जब सार्वजनिक तौर पर सेक्स-संबंध सामाजिक व कानूनी रूप से अमान्य और निषिद्ध है, तो स्कूल के क्लास-रूम में सेक्स विषय के प्रशिक्षण के बारे में सोचना भी निश्चित रूप से बेहूदगी ही है ।

जब खुलेआम मैथुन-क्रिया अपराध हैं, जब मैथुन क्रिया वाली ब्लू-फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन वैधानिक रूप से अपराध है, तो संस्कारशालाओं, विद्यालयों में मैथुन क्रिया की रनिंग-कमेंट्री जैसा शिक्षण-प्रशिक्षण कितना सभ्य है? कितना समुचित है ? कितना स्वीकार्य है ?

[४]
चार खण्डों में विभक्त मनोवैज्ञानिक आर्य जीवन-व्यवस्था

आर्यावर्त के ऋषि-मुनियों ने जीवन के समग्र कालखंड को चार विभागों में बाँट कर एक आदर्श मनोवैज्ञानिक जीवन-व्यवस्था कायम की है। इन्हें आश्रम-व्यवस्था का नाम दिया गया है। इसके प्रत्येक कालखंड या आश्रम में व्यक्ति के अलग-अलग व्यक्तित्व का विकास और उसके अनुरूप व्यवहार होता है–

प्रथम कालखंड	:	ब्रह्मचर्याश्रम
द्वितीय कालखंड	:	गृहस्थाश्रम
तृतीय कालखंड	:	वानप्रस्थाश्रम
चतुर्थ कालखंड	:	सन्यासाश्रम

लगभग २५ वर्ष की आयु तक का जीवन का प्रथम काल-विभाग ब्रह्मचर्य-आश्रम के लिए सुनिश्चित था। इसमें जीवन का शैशव, बाल्य व तारुण्यकाल सम्मिलित था। जीवन के प्रारंभिक दिनों में बालक्रीड़ा और तत्पश्चात् विद्याध्ययन इस आश्रम की मुख्य प्रवृत्ति है। विशेष रूप से यह मानव जीवन का विद्याकाल माना गया है। जीवन में पवित्रता और निर्मलता के विकास के लिए जीवन का यह कालखंड समर्पित है। तन और मन को दूषित करने वाली तमाम प्रवृत्तियों का वर्जन और उन वर्जनाओं का कठोरतापूर्वक प्रतिपालन इस आश्रम का मुख्य धर्म है। यौन-शिक्षा इस पवित्र

कालखंड के लिए बडा प्रदूषण बन कर उसके भावावरण को विक्षिप्त कर देगी ।

गृहस्थाश्रम के रूप में प्रजोत्पत्ति या संतान प्राप्त करने के लिए अलग से कालखंड का निर्धारण किया गया है । ब्रह्मचर्य आश्रम के सुचारु परिपालन के उपरान्त गृहस्थ-धर्म का पालन और उसके फलस्वरूप सात्त्विक और ताकतवर संतानों की प्राप्ति सहजता से होती रहती है ।

वानप्रस्थ आश्रम कुछ प्रवृत्ति और कुछ निवृत्ति का काल है । वानप्रस्थ जीवन में सतत अभ्यास करते हुए व्यक्ति जब गृहस्थ जीवन की समस्त प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाता था तो वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था ।

सन्यासाश्रम संसार की अपेक्षा से संपूर्ण निवृत्ति का और आत्म-साधना की अपेक्षा से पूर्णतः प्रवृत्ति का काल है ।

मानव जीवन में चार आश्रमों की यह व्यवस्था आदर्श और अद्‌भुत तो है ही, साथ ही पूर्णतः वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक भी है ।

यौन-शिक्षा का यह विनाशक विचार ब्रह्मचर्याश्रम को कामवासना का क्रीडांगण बना देगा । फूलों को चुन-चुन कर उनका हार बनाना यह घटना है, परन्तु जो अभी खिल रहे हैं, वैसे नाजुक फूलों को चुनकर हार बना देना यह तो दुर्घटना है !

[५]
प्रशिक्षण की प्राथमिक शर्त : परिपक्वता और पात्रता

प्रदान और प्रशिक्षण की जितनी महिमा है, उसके कई गुना अधिक महत्त्व परिपक्वता और पात्रता का होता है ।

कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी भरना संभव नहीं है । अनाज भी कच्चा होने पर खाने के उपयोग में नहीं आता । कच्चे व कमजोर मकान में निवास करना खतरे से खाली नहीं है । निष्कर्षतः सर्वत्र परिपक्वता का ही महत्व है ।

विद्यालयों में प्रस्तावित यौन-शिक्षा भी कच्चे पारे जैसी ही है । बालमन में उसे ग्रहण करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। या यूँ कहें कि इन बातों के लिए बच्चा पूरी तरह से अपरिपक्व (Immature) है ।

यौन-शिक्षा ग्रहण करने के लिए व्यक्ति में चार प्रकार की परिपक्वता आवश्यक है;

१. शारीरिक परिपक्वता
२. बौद्धिक परिपक्वता
३. मानसिक परिपक्वता
४. सामाजिक परिपक्वता

परिपक्वता के इन उपर्युक्त चार प्रकारों में से एक भी प्रकार की परिपक्वता बालवय में नहीं होती ।

बच्चों का शरीर विकास की अवस्था में होता है। उनकी उम्र कच्ची होती है। विकास की अवस्था में उनका शरीर परिवर्तनशील होता है। शारीरिक विकास अभी अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुँचा हुआ होता। ऐसी अवस्था में यौन-प्रशिक्षण और उसके कारण उपजी असामयिक यौन-संवेदनायें निश्चित रूप से बच्चे के शारीरिक विकास पर अपना प्रतिकूल प्रभाव दिखायेगी।

आरंभिक कक्षाओं में बच्चों को केवल भाषा, गणित और इतिहास आदि सरल विषयों की ही शिक्षा दी जाती है। उन्हें अर्थशास्त्र, मैनेजमेंट, उच्च भौतिकशास्त्र और उच्च रसायन विज्ञान आदि गहन व गंभीर विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कारण स्पष्ट है – बालकों की बौद्धिक क्षमता की अपनी मर्यादा है, उनकी अपनी सीमा है।

ऐसी अपरिपक्व बौद्धिकता में उन्हें यौन-प्रशिक्षण दिया जाना क्या उनके साथ अत्याचार नहीं होगा ?

पुख्ता और परिपक्व मानसिकता व वैचारिकता की दृष्टि से भी बच्चे अक्षम होते हैं। उचित निर्णय लेने व उचित दिशा-निर्धारण करने की उनकी क्षमता नहीं होती। कैरियर की उचित दिशा के चुनाव के लिए भी वे सक्षम नहीं होते। यहाँ तक कि उन्हें देश की संसद में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव का भी अधिकार नहीं है। देश के संविधान में मताधिकार की उम्र १८ वर्ष निर्धारित है।

परन्तु सोचने की बात तो यह है कि जो उम्र मताधिकार के प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, वह उम्र यौन-शिक्षा के लिए कैसे और किस प्रकार से उपयुक्त हो सकती है ?

सामाजिक व्यवस्थायें, जिम्मेदारियाँ, सामाजिक-बंधन, विवाह-संस्था का महत्त्व, सामाजिक शिष्टाचार आदि के संदर्भ में भी

बालक अबोध और अपरिपक्व होता है । अतः इस सामाजिक परिपक्वता के बगैर उन्हें दी जाने वाली यह यौन-शिक्षा बालक के मन-मस्तिष्क पर भयंकर उल्कापात जैसी ही होगी । इस अवस्था में दिया गया ज्ञान बालक को समझदार नहीं बनायेगा, अपितु यौन संदर्भों के प्रति उनमें अनेक प्रकार के असमय कौतूहल व उत्तेजनाओं को ही जन्म देगा । निश्चित रूप से ये कौतूहल उसे अनेक प्रकार के असामाजिक व अप्राकृतिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करेंगे ।

[६]

एड्स का मूल कारण सेक्स का अज्ञान नहीं, सेक्स का अतिरेक है

एच.आई.वी. आज विश्व के तमाम देशों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। भारत भी इस पीडा से मुक्त नहीं है। इस रोग से लड़ने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से तत्पर है। प्राथमिक कक्षाओं से यौन-शिक्षा की शुरुआत को सरकार इस बीमारी के लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में देख रही है।

परन्तु एड्स-निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में बच्चों पर यौन-शिक्षा का आत्मघाती भार डालने का मूल कारण सरकार व तथाकथित हित-चिंतकों का एक बहुत बड़ा भ्रम है।

आज देश में एड्स के फैलाव का मुख्य कारण जनता में सेक्स की जानकारी का अभाव व अज्ञान माना व प्रचारित किया जा रहा है।

वास्तव में यह एक बडा भ्रम है। असली अपराधी तो कोई और ही है, और दु:ख की बात तो यह है कि उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है।

सच बात तो यह है कि सेक्स के बारे में जानकारी का न होना, एड्स के फैलने का कारण नहीं है। एड्स के फैलने का, प्रसार का सबसे बड़ा कारण है सेक्स का अतिरेक ! अनैतिक यौन सम्बन्ध, अनियंत्रित कामोत्तेजना, सृष्टि-विरुद्ध कुकर्म (अप्राकृतिक

यौनाचार), असमय उत्तेजना आदि इसके प्रमुख कारण हैं ।

इन कारणों के पीछे इनके सूत्रधार हैं ब्लू फिल्में, अश्लील टीवी चैनल, अभद्र साहित्य, अनुचित वेशभूषा और त्यौहारों में कामोत्तेजक हावभाव । ये सब ही इसमें सर्वाधिक दोषित हैं ।

कितने दुख की बात है कि किशोरों और युवाओं की कामवृतियों को उत्तेजित करने, ललचाने और अनैतिक यौन सम्बन्धों के लिए मजबूर करने वाले इन कारणों पर किसी को भी क्रोध नहीं आता, किसी की आंखें लाल नहीं होतीं । इसमें बच्चों के अभिभावक और देश के रहनुमा भी बराबर के भागीदार हैं, बराबर के दोषी हैं । उन्हें कोई सजा नहीं मिलती । वही लोग आज 'सेक्स विषयक अज्ञान' के काल्पनिक भूत का हौवा बनाकर 'सेक्स एज्यूकेशन' के लिए मंच और वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं । यह तो सरासर अंधेरगर्दी है ।

कोमल बाल-मन पर 'यौन-शिक्षण' के प्रहार की पूरी तैयारी हो चुकी है । यदि ये सफल रहे और इन अपराधियों की संहार लीला चलती रही तो एड्स का उपद्रव निश्चित तौर पर निर्बाध और निरंकुश रूप से बढ़ता ही रहेगा और कोमल बाल-मन काम विचारों व काम विकारों की अग्नि ज्वाला में जलता रहेगा ।

[७]
यौन-शिक्षा : विद्यार्थियों के करियर का कब्रिस्तान बनेगी

एस.एस.सी. की बोर्ड की परीक्षा में मयंक को मेरिट लिस्ट में स्थान मिला। १२वीं की परीक्षा में उसे ९२ प्रतिशत अंक मिले। इस सफलता के बाद उसने बी.कॉम. और सी.ए. के कोर्स एक साथ आरम्भ किये। सी.ए. की एंट्रेंस और बी.कॉम. (प्रथम वर्ष) की परीक्षा उसने अच्छे अंकों के साथ उतीर्ण की।

परन्तु इसी बीच, पढ़ाई के दौरान उसमें परिवर्तन आया। उसकी परीक्षा का परिणाम लगातार खराब होता रहा। आखिर, सी. ए. फाइनल की परीक्षा के लिए उसने चार बार प्रयास किये, पर परिणाम उत्तरोत्तर खराब ही मिलता रहा। माँ-बाप परेशान थे। मयंक की इस असफलता का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा था।

मयंक हताश तो था, परन्तु वह स्वयं अपनी असफलता का कारण जानता था। एक दिन अपने एक अंतरंग सीनियर के साथ रहस्योद्घाटन करते हुए उसने बताया–

'मित्र की प्रेरणा से दो-तीन ब्लू फिल्में देखीं। कामुक विचार और कामुकता मेरे मन और शरीर को एबनॉरमल (असामान्य) बनाने लगे। सेक्स के बारे में जानने के लिए मन हमेशा कौतूहल से भरा रहता। इसी बीच ऐसे साहित्य भी पढ़े, जिनमें सेक्स के बारे में बहुत सारी बातें थीं। मन में दिन रात वही विचार घूमते रहते। पढ़ाई-

अध्ययन में मन ही नहीं लगता था । बस ! मेरा सारा एकेडमिक कैरियर समाप्त हो गया ।'

कच्ची उम्र में बच्चों को यौन-शिक्षा की मादक मदिरा पिलाने का अर्थ है – उनके चरित्र का नाश, परन्तु इसके साथ ही उनका कैरियर भी बुरी तरह से प्रभावित होगा और शिक्षा पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जायेगा ।

कानूनन विवाह की परिपक्व आयु १८ और २१ वर्ष है । इससे पहले विवाह करना बाल-विवाह की श्रेणी में आता है और अपराध माना जाता है । बहुत सारे लड़के-लडकियाँ २६-२७ वर्ष तक भी विवाह नहीं करते हैं । कारण, उस समय वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं । वे एसा मानते हैं कि शिक्षा पूर्ण करने से पहले विवाह और दाम्पत्य जीवन उनके कैरियर को खत्म कर देगा ।

विद्यालय में यौन-शिक्षा बच्चों में असमय कौतूहल, उत्तेजना और अनियंत्रित उन्माद ही पैदा करेगी । कच्ची उम्र का बच्चा इसे संभाल नहीं पायेगा ।

पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा । दिन-रात उसके दिमाग पर कामुक विचार छाये हुए रहेंगे । ये विचार उसके भोजन और नींद की सामान्य क्रियाओं को भी विचलित करेंगे ।

...और अंत में यही यौन-शिक्षा उसके चरित्र के साथ ही उसके कैरियर को भी ले डूबेगी ।

कोमल उम्र में यौन-शिक्षा विद्यार्थियों के कैरियर के लिए आत्मघातक एड्स को आमंत्रित करनेवाली H.I.V. सिद्ध हो जायगी ।

[८]
इसमें यौन-शिक्षा की आवश्यकता ही कहाँ है ?

एच.आई.वी. द्वारा एड्स का प्रसार होता है । यह एक संक्रामक वायरस है । वह नीचे लिखे इन कारणों से फैलता है–

१. नशीले पदार्थों का सेवन– एक ही इंजेक्शन और निडिल (सुई) से कई व्यसनी व्यक्तियों द्वारा ड्रग्स का सेवन करना । ऐसे में यदि एक के शरीर में एच.आई.वी. हो तो दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर जाएगा ।

२. वेश्या गमन– बाजारू स्त्रियाँ अनेक पुरुषों के संपर्क में आती हैं, उनके साथ संसर्ग करती हैं और एच.आई.वी. की वाहक बनती हैं ।

३. सजातीय (समलैंगिक) सम्बन्ध भी एच.आई.वी. के प्रसार में प्रमुख कारण हैं ।

४. पर-स्त्री व पर-पुरुष गमन-व्यक्ति के अनैतिक सेक्स संबंध इस वायरस के प्रसार में कारणभूत होते है ।

५. अंगदान-किडनी, नेत्र, लीवर ट्रांसप्लांट आदि के सर्जरी केस और रक्तदान, शुक्रदान, माता के द्वारा दुग्धदान आदि की प्रक्रिया में यदि दाता एच.आई.वी. से ग्रस्त है तो ग्राहक व्यक्ति इस वायरस का भोग बन जाता है ।

६. वेश्यायें, देवदासियाँ, कालगर्ल्स, फ्री-सेक्स करने वाली युवतियाँ

और इनके साथ संसर्ग करने वाले पुरुष भी एच.आई.वी. को निमंत्रित करते हैं ।

७. सर्जिकल औजारों के उपयोग में असावधानी भी इस वायरस के प्रसार का एक बहुत बड़ा कारण है ।

८. हाथ या शरीर के अन्य स्थानों पर गोदना गुदवाने (परमानेंट टैटू) में भी इस वायरस के प्रसार का खतरा बना रहता है । कारण, उनकी सूईयाँ भी अनेक लोगों को चुभती हैं ।

अब, यदि इन उपर्युक्त कारणों से होने वाले एच.आई.वी. का प्रसार रोकना हो तो–

१. नशीले पदार्थों के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और उनका कड़ाई से पालन किया जाए ।

२. वेश्यावृति और अनैतिक सम्बन्धों पर पूर्णतः रोक लगाई जाये ।

३. व्यावसायिक रूप से अंग-अवयवों के प्रत्यारोपण पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनका कड़ाई से पालन किया जाए ।

४. चिकित्सा के क्षेत्र में सीरिंजों और नीडिल्स (इंजेक्शन लगाने की सुई) के 'री-सेल' और 'री-यूज' को पूरी तरह समाप्त किया जाए ।

उपर्युक्त कारणों व समाधानों पर विचार कर परिपालन किया जाये तो निश्चित रूप से एड्स पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।

सच तो यह है कि एड्स-एच.आई.वी. पर नियंत्रण के लिए सेक्स की शिक्षा नहीं, अपितु सदाचार और संयम के शिक्षण की और लोक-जीवन में उनकी स्थापना की आवश्यकता है ।

[९]
रोग चिन्ताजनक है, पर प्रायोजित इलाज जानलेवा है

एड्स एक घातक एवं जानलेवा रोग है। उसके प्रतिकार के लिए यदि सरकार जागरूक व सक्रिय बनती है तो यह आवश्यक भी है, और आवकार्य भी है। परन्तु रोग की अपेक्षा चिकित्सा विशेष रूप से पीड़ादायी एवं हानिकारक न हो जाये, इस बात का चिकित्सा-विवेक जरूरी है। एड्स निवारण कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में किंडर-गार्टन (के.जी.) कक्षा से आरम्भ कर के विद्यालयों में यौन-शिक्षा शुरू करवाने की भारत सरकार हिमायत कर रही है। इस संदर्भ में एक कथा-प्रसंग स्मृति-पटल पर आ रहा है।

एक राजा के पुत्र को किसी भयानक बीमारी ने अपने ग्रास में ले लिया। इसके उपचार के लिए राजा ने देश में विख्यात तीन वैद्य बुलाये। तीनों ने बारी-बारी से अपनी चिकित्सा पद्धति का परिचय दिया।

पहले वैद्य ने कहा कि, 'मेरी औषधि शरीर से रोग तो दूर करती ही है, साथ में शरीर को पुष्टि भी प्रदान करती है।' दूसरे वैद्य ने कहा कि, 'मेरी औषधि रोग को दूर करती है, और ऐसा न कर सके तो वह मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। शरीर पर कोई लाभकारक या हानिकारक प्रभाव नहीं डालती है।'

तीसरे वैद्य ने कहा कि, 'मेरी औषधि रोग को शायद दूर तो

कर देती है, परन्तु उस दवाई का एक विपरीत असर भी है, जिसके प्रभाव से रोगी के प्राण भी जा सकते हैं ।' राजा बुद्धिमान व समझदार था । उसने तीसरे वैद्य को देश से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और पहले वैद्य से चिकित्सा कराई ।

'एड्स के प्रसार में सेक्स विषयक अज्ञान एक बहुत बड़ा कारण है', यह कहना ही गलत है । इसी संदर्भ में दिये जाने वाले यौन शिक्षण की हिमायत करनेवालों को, देश से निष्काशन-योग्य तीसरे वैद्य की तरह भारत सरकार सन्मानित कर रही है, ऐसा लगता है । इसे भी 'देश-निकाला' दिया जाना चाहिए ।

चरित्रहीनता, दुराचार, टीन-एज सेक्स, मानसिक विकृति, सृष्टि-विरुद्ध दुष्कर्म आदि को अगर रोग का स्थान दिया जाए तो यौनशिक्षा, दूसरे अनेक रोगों की उत्पादक उस तीसरे वैद्य की दवा की तरह ही है, जो नई पीढ़ी के चारित्र के लिए जानलेवा साबित होगी ।

यौन-शिक्षा का 'हाइली इन्फेक्टिव वाइरस' (Highly Infective Virus - H.I.V.), AUTOMATIC & IMMEDIATE DESTRUCTION OF SPIRIT (A.I.D.S.) का रोग बनकर पूरे भारत में फैल जायेगा ।

[१०]
यौन-शिक्षा से सरस्वती मंदिर की गरिमा नष्ट होगी

पाठशाला हो या कॉलेज, वह माँ शारदा का पवित्र मंदिर है। वहाँ विद्या की देवी सरस्वती अधिष्ठित हैं। शिक्षक गण इस मंदिर के पूजारी हैं और विद्यार्थी इस विद्या-मंदिर में विद्या की देवी सरस्वती के उपासक हैं। शारदा मंदिर की भी अपनी एक गरिमा होती है, पवित्रता होती है, परिशुद्ध-पर्यावरण होता है। वहाँ पर यौन-शिक्षा के शुरू होते ही यह गरिमा समाप्त हो जायेगी।

क्या किशोर वय के विद्यार्थी इस विषय के लिए आवश्यक व उचित गंभीरता दिखाने में सक्षम होंगे ? हास्य, मजाक, भौंडे प्रदर्शन और अश्लील कमेंट्स से क्या क्लास-रूम का वातावरण प्रदूषित नहीं होगा ? छात्रों का छात्राओं के प्रति और छात्राओं का छात्रों के प्रति अभिगम (व्यवहार) कितना तुच्छ होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है।

इस विषय की शिक्षा देने वाले अध्यापक की गरिमा भी धूमिल होगी। विद्यार्थियों के मानस-पटल पर शिक्षक के प्रति परंपरागत सम्मान का अवमूल्यन होगा। विचार करें, क्या इससे गुरू-शिष्य के परंपरागत सम्बन्धों पर आंच नहीं आयेगी ?

क्लास में जब यह शिक्षण चल रहा होगा तो विद्यार्थी किस प्रकार के प्रश्न करेंगे ? इस विषय की आपसी चर्चा में शिक्षक और

विद्यार्थी के बीच 'लज्जा' की क्या कोई लक्ष्मण-रेखा खींची जा सकती है ? क्या स्कूल के मध्यांतर (रीसेस) में विद्यार्थी आपस में बिभत्स चर्चा व हरकतें नहीं करेंगे ? क्या यह विषय विद्यालय के परिसर का वातावरण प्रदूषित नहीं करेगा ?

यहां संदर्भगत एक सत्य घटना का वर्णन हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होगा ।

मुंबई के एक साईंस कॉलेज में इंटरमीडियेट साईंस वर्ग में अध्यापक महोदय प्रजनन क्रिया के बारे में समझा रहे थे । विषय पूर्ण होने के बाद टीचर ने पूछा – 'एनी डिफिकल्टी ?' (Any difficulty ?)

निर्लज्जता की सीमा को पार करते हुए एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया– 'सर ! दिस वाज जस्ट थियरी । व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल्स ?' (Sir ! This was just theory. What about practicals ?)

पूरे क्लास-रूम में निर्लज्ज हास्य फैल गया । बेशर्मी की सारी हदों को पार करते हुए, विद्यार्थी के प्रश्न से एक कदम और आगे बढ़ते हुए टीचर ने जबाव दिया– 'गिव मी द नेसेसरी इंस्ट्रुमेंट्स एंड आई विल शो यू द प्रैक्टिकल ।' (Give me the necessary instruments and I will show you the practical.)

विद्यालय में यौन-शिक्षा का आरम्भ उसकी गरिमा का अग्नि-संस्कार करने जैसा ही होगा । अतः उचित तो यह ही है कि यौन-शिक्षा के प्रस्ताव का ही अग्नि-संस्कार कर दिया जाए ।

[११]
क्या यौन-शिक्षा के ये वास्तविक दुष्परिणाम स्वीकार्य हैं ?

नीचे लिखी हुई कुछ सत्य-घटनाओं का अवलोकन करें–

❁

अहमदाबाद में छठीं कक्षा में पढ़ने वाला वत्सल (नाम बदला हुआ है) और उसकी छोटी बहन, दोनों घर में एकदम अकेले थे। वत्सल ने अपनी आठ वर्षीया बहन के सारे कपड़े उतार दिये और उसके गुप्तांगों के साथ कुचेष्टा करने लगा।

तभी अचानक दरवाजा खुला। उसके पापा घर में दाखिल हुए। यह दृष्य देखकर उनका क्रोध फट पड़ा। उन्होंने धड़ाधड़ वत्सल के गाल पर चार थप्पड़ धर दिये। वत्सल हतप्रभ हो गया। उसने पूछा – 'डैडी ! आपने मुझे क्यों मारा ?'

'तुम यह क्या कर रहे थे ?'

'डैडी ! इसमें मैं गलत क्या कर रहा था ? हमारे साईंस के विषय में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक चैप्टर है। उसमें लड़की के बॉडी-पार्ट्स के बारे में टीचर ने हमें सिखाया था। मैं तो यह कन्फर्म कर रहा था कि पिंकी के बॉडी-पार्ट्स भी वही हैं न ? इसमें मारने वाली क्या बात थी ?'

❁

दस वर्षीय प्रिया कमरे में अकेली थी। उसके पास दो डॉल्स

(गुड़िया) थीं। उनमें से एक मेल डॉल थी और दूसरी फिमेल डॉल। उसने दोनों डॉल्स को एक दूसरे के साथ सटा कर रख दिया। ठीक उसी समय उसकी मम्मी ने कमरे में प्रवेश किया। प्रिया ने कठोर स्वर में मम्मी से कहा–

'मम्मी ! तुम यहाँ से बाहर जाओ। मेरी डॉल्स सेक्स कर रही हैं।'

❁

नौ वर्ष की श्वेता अपनी नोटबुक में कुछ चित्र बना रही थी। उसके पापा उसे चित्र बनाते हुए देख रहे थे। श्वेता के पापा ने उससे पूछा–

'बेटा श्वेता ! अपनी नोटबुक में तुम क्या चित्र बना रही हो ?'

'पप्पा ! हमारी सेक्स-एज्यूकेशन की टेक्स्ट-बुक में पुरुषों के बॉडी-पार्ट्स के पिक्चर हैं। मैं वही ड्रॉ कर रही थी।'

❁

आठ वर्ष का सोहम् हाथ में चॉक लेकर दीवार पर चित्रकारी कर रहा था। उसकी माँ को जब उसकी चित्रकारी विचित्र लगी तो उन्होंने सोहम् को एक चांटा मारा और दीवार को साफ कर दिया। परन्तु अफसोस ! उसके कोमल मन-मस्तिष्क पर जो चित्र बन गये हैं, उन्हें कौन मिटायेगा।

❁

यौन-शिक्षा की हिमायत करने वाले इन संभवित नतीजों पर एक नजर अवश्य डालें।

❁

[१२]
यौन-शिक्षा पारिवारिक व्यवस्था में विक्षोभ पैदा करेगी

कुटुम्ब व्यवस्था आर्य देश भारत की पुरातन सभ्यता, उन्नत आदर्श, नैतिक मूल्य एवं परंपरागत सुन्दर प्रणालिकाओं का संरक्षण करने वाली मजबूत व्यवस्था है । यहाँ परिवार का एक सुन्दर वातावरण निर्मित होता है। प्रेम, वात्सल्य, सहकारिता और मर्यादाओं का अनुपालन इस व्यवस्था के प्राण-तत्त्व हैं ।

विद्यालय में दी जाने वाली यौन-शिक्षा इस पुरातन सामाजिक व्यवस्था में विक्षोभ उत्पन्न करेगी । कुटुम्ब का अनुशासन खंडित होगा । पाँच मेहमानों की उपस्थिति में स्कूल से यौन-सम्बन्धों के बारे में ज्ञान लेकर आया बालक, जब माता-पिता से विचित्र-सा कोई प्रश्न करेगा तो विचार करें, माता-पिता की कैसी दयनीय दशा होगी ?

और यदि अन्य कोई बाहरी व्यक्ति न हो तो भी, बालक अकेले में पापा से या मम्मी से अपनी जिज्ञासा शान्त करने के लिए प्रश्न पूछेगा तो क्या वे उन प्रश्नों का समाधान दे सकेंगे ? यदि माता-पिता बालक की जिज्ञासा का समाधान नहीं करेंगे तो बालक उसका क्या अर्थघटन करेगा ?

मानव की, विशेष रूप से बालक की, एक सहज मानसिकता रही है कि जो नई जानकारी उसे मिलती है, वह प्रयोग-सिद्ध होनी

चाहिए और यदि उसके पास साधन उपलब्ध हों तो वह स्वयं प्रयोग करके देखना चाहता है, प्रयोग करके देखता भी है ।

अपवर्तन के सिद्धान्त के अनुसार पानी भरे बरतन में आधी डूबी हुई सीधी लकड़ी भी टेढ़ी दिखाई देती है । विज्ञान विषय की कक्षा में यह सीखकर घर आने के बाद बालक यही प्रयोग घर पर करता है । इसी प्रकार, हवा के दबाव के कारण किसी पाईप में पानी भरा हो और ऊपर से उसका मुँह बंद कर दिया जाये, तो पानी पाईप के दूसरे खुले सिरे से नीचे नहीं गिरता । स्कूल में यह सीखकर घर आने के बाद क्या बालक इस प्रयोग को करने से स्वयं को रोक सकेगा ?

विद्यालय में यौन-शिक्षा ग्रहण कर जब बालक घर पर आयेगा तो, यही मानसिकता उसके अनुकरण करवाने से खुद को रोक पाएगी ? माता-पिता घर से बाहर गए हुए हों, और किशोर वय के लड़के-लड़की घर में अकेले हों, ऐसी अवस्था में माता-पिता को डरने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाय, इतनी भयंकर दुर्दशा भारतीय परिवारो में सुसंभवित है । अगर यह दुर्दशा स्वीकार्य हो तो ही विद्यालयों में यौन-शिक्षा का समर्थन करें ।

[१३]

आतंकवाद पर काबू पाने के लिये बच्चों के हाथों में बन्दूक नहीं दी जा सकती

आज राष्ट्र के सामने अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं। एड्स भी उनमें से एक है। परन्तु आज एड्स से भी भारी सिरदर्द बना हुआ है, देश में फैला हुआ आतंकवाद। आज आतंकवाद के खप्पर में सैकड़ों, हजारों निर्दोष नागरिक स्वाहा हो चुके हैं। आतंकवाद की आग में प्रजा झुलस रही है। गुलाब की कली जैसे कोमल शिशु इस त्रास वाद के भोग बन चुके हैं। निर्दोष अबलायें भी इस त्रासदी की शिकार हो रही हैं।

इस आतंकवाद के प्रतिकार के लिये क्या आम जनता को बचपन से ही बन्दूक चलाने की शिक्षा दी जाए ? क्या स्कूलों में शस्त्र-शिक्षा का नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाये और उन्हें हैंड-ग्रेनेड फैंकना सिखाया जाये ?

नहीं। स्कूल में बच्चों को बन्दूक चलाना और हैंड-ग्रेनेड फैंकना नहीं सिखाया जा सकता। इसका कारण है – बन्दूक कहाँ चलानी है और किस पर चलानी है, बच्चों के अविकसित मानस में इस बात का विवेक नहीं है। उनकी अपरिपक्व बुद्धि की अपनी सीमा है। उनकी खोपड़ी घूम जाये तो अपने सगे बाप पर भी गोली चला सकते हैं। इसका अंजाम क्या होगा ?

तात्पर्य स्पष्ट है कि आवेश पर अंकुश रखने वाली विवेक-

बुद्धि उनके पास नहीं है ।

जब आतंकवाद के डर से बालकों को रिवाल्वर चलाना नहीं सिखाया जा सकता, तो एड्स का हौवा बनाकर उन अबोध बालकों पर यौन-शिक्षा का भार क्यों थोपा जा रहा है ?

सच बात तो यह है कि यौन-शिक्षा रिवाल्वर और मशीनगन से भी भयानक और खतरनाक हथियार है । यह हमारी पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था को तहस-नहस कर देने में सक्षम है ।

क्रोधावेश में जो बालक अपने सगे बाप को 'टारगेट' बना सकता है, तो यह भी संभवित है कि यौन-शिक्षा के कारण उपजे कामावेश में आकर वही बालक अपनी सगी बहन के साथ बलात्कार भी कर सकता है ।

बच्चों को यौन-शिक्षा प्रदान कर क्या हम यह खतरा उठाने के लिए तैयार हैं ?

[१४]
आज की जरूरत सेक्स की शिक्षा नहीं, सदाचार की शिक्षा है

रोग के कारण, रोग के लक्षण और उसके निदान में एक बहुत ही निकट तार्किक सम्बन्ध होता है। यदि रोग के लक्षणों का सम्यक् रूप से विश्लेषण नहीं किया जाये तो सारा निदान व्यर्थ चला जाता है। एक ही रोग के अलग-अलग अनेक कारण हो सकते हैं। यथा – आज करीब १२५ से भी अधिक ऐसे कारण खोजे जा चुके हैं, जो कि मानव शरीर में ताप (बुखार) उत्पन्न करते हैं। अतः कारण और लक्षण की आपसी संगति बिठाकर ही बीमारी का सफल व कारगर उपचार किया जा सकता है।

एड्स-एच.आई.वी. के प्रसार का कारण मात्र सेक्स ही नहीं है। और इसमें भी सेक्स के प्रति अज्ञानता तो इसका कारण होने का प्रश्न ही नहीं है। सेक्स तो मनुष्य जीवन में योग्य काल में उत्पन्न होने वाला एक प्राकृतिक आवेग है और जब यह आवेग प्राकृतिक है तो इसमें अज्ञान के लिए कोई अवकाश भी नहीं है।

एच.आई.वी.-एड्स के फैलाव के अनेक कारण हो सकते हैं। यदि हम केवल सेक्स के संदर्भ में ही विचार करें तो भी – (१) अनियंत्रित सेक्स, (२) अनैतिक सेक्स, (३) अकाल सेक्स और (४) अप्राकृतिक सेक्स ही एड्स का फैलाव करने वाले कारण हैं। यौन-शिक्षा इन चार प्रकारों में से किसी एक को भी रोकने

में सक्षम नहीं है । यह तो उत्प्रेरित कामाग्नि में घी का ही काम करेगी ।

सेक्स संबंधित इन कारणों की चंडाल-चौकड़ी को रोकने और निष्क्रिय करने में यदि कोई शिक्षा सक्षम है, तो वह है : 'सदाचार की शिक्षा' ।

शुकदेव, सीता-मैया, शिवाजी से विवेकानन्द तक के पौराणिक व ऐतिहासिक चरित्र-नायकों के शील व सदाचार के आदर्श चरित्र विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाएँ, तो निश्चित रूप से उनका मानस सात्विक बन सकता है ।

...और सात्विक मन में विकृति कैसे प्रवेश करेगी ?

सदाचार के बीज बोने से देश की नई पीढ़ी के आचरण में से अनैतिक सम्बन्ध व भोगवाद आदि दुष्ट प्रवृतियाँ अपने आप ही समाप्त हो जायेंगी और इस प्रकार एच.आई.वी.-एड्स का फैलाव भी अपने आप ही रूक जायेगा ।

आज नई पीढ़ी को आवश्यकता है जीवनदायी अमृत-औषधि की और सरकार उन्हें यौन-शिक्षा के ज़हर का घूंट पिलाने के लिए तत्पर बन गई है ।

[१५]

यौन-शिक्षा का उद्देश्य : सुरक्षित सम्बन्ध या असुरक्षित चरित्र ?

छोटा-सा बच्चा विष्ठा में या गंदगी में हाथ डालता है और फिर उसी हाथ को अपने शरीर व कपड़ों में भी लगाता है। नासमझी के कारण जब बच्चा ऐसा करता है, तो उसकी माँ 'छी-छी' शब्द का प्रयोग कर बच्चे के मन में जुगुप्सा व घृणा का भाव पैदा करती है। गंदगी के प्रति जुगुप्सा और घृणा-भाव उत्पन्न होने के कारण बच्चे की यह प्रवृति धीरे-धीरे अपने आप ही छूट जाती है। इसके लिए कोई भी माँ अपने बच्चे को 'हैंड-ग्लव्स' (रबर के दस्ताने) नहीं पहना देती। बच्चे को 'हैंड-ग्लव्स' पहनाने का अर्थ तो यही है कि माँ द्वारा विष्ठा को गूंधने और उसमें हाथ डालने की उसकी क्रिया का समर्थन किया जा रहा है, उसे उत्तेजन और प्रोत्साहन-प्रदान किया जा रहा है।

एच.आई.वी.-एड्स फैलने का कारण यदि अनैतिक यौन-सम्बन्ध है, तो आवश्यकता अनैतिक सम्बन्धों के प्रति घृणा पैदा करने की है। अनैतिक सम्बन्धों के कारण उत्पन्न होने वाले जानलेवा खतरों (एच.आई.वी.-एड्स) से खबरदार करने के बजाय नई पीढ़ी में असुरक्षित यौन सम्बन्धों का भय उत्पन्न कर कंडोम के उपयोग की शिक्षा देना तो अनैतिक सम्बन्धों का समर्थन करना और उनके प्रति उत्तेजना पैदा करना है। इससे तो समाज में व्यभिचार ही फैलेगा। एक ताजे उदाहरण के रूप में आपको यह प्रसंग बताना चाहूँगा।

एक शहर के किसी विद्यालय में यौन-शिक्षा के अंतर्गत 'सुरक्षित-सेक्स' का खूब महिमा-मण्डन किया गया और कंडोम के उपयोग पर पूरा जोर दिया गया । इसका परिणाम यह आया कि किशोर उम्र के लड़के-लड़कियों के बस्ते और पर्स में कंडोम के पैकेट पकड़े गये । पैरेंट्स के ग्रुप में इस बात को लेकर हाहाकार मच गया । पैरेंट्स एसोसियेशन ने स्कूल के प्रिंसिपल का घेराव किया और कहा कि, 'यौन-शिक्षा के नाम पर हमारे बालकों को आप यह क्या सिखा रहे हैं ? उनके पास से कंडोम के पैकेट मिल रहे हैं । आप ने यह क्या किया ?'

उस स्कूल के प्राचार्य ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जवाब दिया – 'इसका मतलब यह है कि हमारा यह अभ्यास-क्रम (शिक्षण) पूरी तरह सफल रहा है। लड़के-लड़कियाँ सुरक्षित सेक्स का महत्व और उसकी उपयोगिता समझ गए हैं। यह उसी का सबूत है।'

नवोदित पीढ़ी के चरित्र का उदय से पूर्व ही दीवाला निकल जाये, क्या आपको यह मंजूर है ? यूरोप और अमरीका की नवोदित पीढ़ी की सुलगती समस्यायें हमारे अपने देश में भी भीषण आग का रूप ले लें, क्या यही हमको इष्ट है ?

चिकित्सा शास्त्र का नियम है – दूसरे के शरीर का अंग (फोरेन-पार्ट) मानव शरीर प्रायः स्वीकार नहीं करता । अपनी संस्कृति के साथ भी यही नियम है । पवित्र भारतीय संस्कृति के लिए यौन-शिक्षा 'फॉरेन-पार्ट' ही है । अपनी संस्कृति किसी भी स्थिति में इसे आत्मसात् नहीं कर सकेगी ।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में या सत्ता के जोर पर इस देश की संस्कृति के पोषक व संवाहक नई पीढ़ी के लड़के-लड़कियों को जबरदस्ती सिखायी जाने वाली यह यौन-शिक्षा एक भयानक अत्याचार है ।

[१६]
शिक्षण वृत्ति का नहीं, वृति-संयम का होना चाहिए

जन्म लेने के तुरंत बाद से ही बालक स्तनपान करता है। स्तनपान करना उसे कौन सिखाता है ? भोजन करने की क्रिया का पाठ विश्व की कौन-सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ? उसी तरह जन्म के साथ ही बच्चा रोता है, उसका अभ्यास कौन कराता है ? उन्हें मल-मूत्र त्याग की क्रिया कोई भी नहीं सिखाता है, फिर भी वे जन्मकाल से ही ये सभी क्रियायें करते आ रहे हैं।

मल-मूत्र विसर्जन की ही तरह मैथुन-क्रिया भी मानव की एक सहज वृत्ति है। परन्तु यह वृत्ति काल-सापेक्ष है। यह उम्र की एक निश्चित सीमा पर पहुँच कर मनुष्य के शरीर और मन में सहज रूप से उत्पन्न होती है। इसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। हाँ ! यदि इन वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर कोई अंकुश न हो तो ये महा-अनर्थकारी साबित हो सकती हैं। इसलिए आहार, मैथुन आदि पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

इन प्राकृतिक क्रियाओं को सहज रूप से सिखाने की जिम्मेदारी भी प्रकृति ही स्वयं संभालती है, परन्तु उनके नियंत्रण का दायित्व कुदरत ने मनुष्य पर ही छोड़ रखा है। इसलिए उन पर नियंत्रण की पूरी शिक्षा दी जानी चाहिए। आहार करने की क्रिया के लिए शिक्षा की आवश्यक नहीं है, परन्तु आहार पर संयम की शिक्षा दी जा

सकती है। ऐसे ही, अशुचि क्रियायें भी स्वतः स्फूर्त और प्राकृतिक हैं, परन्तु उनके संदर्भ में मर्यादाओं के अनुपालन की शिक्षा दी जा सकती है।

इसी प्रकार मैथुन और कामवृत्तियाँ भी यौवन सहज हैं। उनका शिक्षण नहीं किया जा सकता। ऐसी शिक्षा निरर्थक होगी, परन्तु कामवासना पर नियंत्रण, सदाचार और इन्द्रिय संयम की शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। पशु जगत में आहार-निहार-मैथुन आदि सहज हैं। इस सन्दर्भ में संयम व सभ्यता का आदर्श केवल मनुष्य के पास ही है। और यही एक ऐसा कारण है, जो मनुष्य को पशु जगत से बढकर सिद्ध करता है।

[१७]
एड्स पर अंकुश के लिए यौन-शिक्षा की नहीं, जन-जागरण की आवश्यकता है

रोग का प्रतिकार करने की जिम्मेदारी किसकी है ? रोग के प्रतिकार की पद्धति क्या होनी चाहिए ? ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं । व्यक्तिगत रूप में तो रोग का इलाज करवाने की जिम्मेदारी स्वयं रोगी की, या उसके स्वजनों की है। परन्तु व्यापक रूप से रोग या महामारी से जूझने का, उसको काबू में करने का काम देश की सरकार का है ।

इसमें रोग के प्रतिकार की शैली भी बहुत महत्त्वपूर्ण है ! एच.आई.वी.-एड्स के संदर्भ में सरकार विद्यालयों में यौन शिक्षा का शंखनाद फूँक रही है । सरकार के इस कार्य पर सहज ही प्रश्न उठना स्वाभाविक है – क्या यह पद्धति उपयुक्त है ? क्या यह शिक्षा जरूरी है ?

देश की सरकार को प्लेग, पोलियो, चेचक, डेंगू, बर्ड्स-फ्ल्यू, चिकनगुनियाँ सरीखे अनेक संक्रामक रोगों के साथ युद्ध करना पड़ता है । इन सभी प्रसंगों पर सफाई-कार्यक्रम और मुख्य रूप से जन-जागरण अभियान को सेनापति की तरह प्रमुखता प्रदान की जाती है ।

व्यापक जन-जागरण द्वारा रोगों और महामारी को समाप्त करने, उन पर अंकुश लगाने में संतोषजनक सफलता मिली भी है।

अभी तक किसी भी सरकार ने प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में प्लेग व पोलियो का या उसमें बरतने की सावधानी का शिक्षण आरम्भ नहीं किया है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया है ।

अपने तंबू में घुसी हुई बकरी को निकालने के लिए कोई ऊंट पर सवार होकर तंबू में प्रवेश करे और फिर बकरी तो शायद निकल जाये पर ऊंट तंबू में निश्चित रह जाता है । ऐसा लगता है कि आज सरकार भी कुछ ऐंसा ही मूर्खतापूर्ण खेल खेल रही है । यौन-शिक्षा के प्रसार से एच.आई.वी.-एड्स का प्रकोप कई गुना बढ़ जाये तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा ।

आज सरकार जिसे 'औषधि' मान रही है, वह पूरी तरह से 'अपथ्य' है । वस्तुतः एड्स के संदर्भ में आज की जरूरत 'अवेयरनेस' (जागरूकता) की है, 'एज्यूकेशन' (शिक्षा) की नहीं ।

[१८]
जल्दी जगाई गई भूख और भोजन बहुत देर से : परिणाम क्या होगा ?

उम्र की एक सीमा तक तो स्वाभाविक रूप से ही सेक्स की वृति जागती ही नहीं । तरुणावस्था में शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन अवश्य होते हैं, परन्तु तब भी यदि किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाये और उत्तेजित होने के कारण न हों तो प्रायः कामवृति शान्त ही रहती है। हाँ, यदि उत्तेजक निमित्त मिलें तो १२-१३ वर्ष की कच्ची उम्र में भी शरीर और मन में कामवासना जागृत हो जाती है।

जैसे अश्लील साहित्य, विकारी दृश्य आदि उत्तेजक निमित्त बन कर कामवासना को जागृत करते हैं, जिस प्रकार मादक आहार और खान-पान भी कामोत्तेजना उत्पन्न करते हैं, जिस प्रकार अश्लील साहित्य काम वासना उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार सेक्स सम्बन्धी बातें करने और जानकारी से भी मन की सुषुप्त कामवृत्तियाँ जागृत होती हैं । यौन-शिक्षा बालकों के लिए ज्ञान का माध्यम बनने के बजाय कामवृत्ति के प्रबल उत्तेजक के रूप में महत्त्वपूर्ण रोल निभायेगी । सेक्स-एज्यूकेशन की पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए पोर्नोग्राफिक साहित्य की भूमिका भी निभायेंगी । क्लास-रूम का तद्विषयक शिक्षण उनके लिए कामवासना की भूख बढ़ाने वाली गोलियों जैसा काम करेगा ! मित्रों व सहपाठियों के बीच उनकी आपसी चर्चा

कामोत्तेजना को बढ़ाने वाली नशीली वियाग्रा जैसी होगी ।

बारह-तेरह वर्ष की कच्ची उम्र में बच्चों को दी जाने वाली यौन-शिक्षा उनकी कामवासना की भूख को पूरी तरह बढ़ा देगी । परन्तु विवाह की वैधानिक आयु १८ एवं २१ वर्ष है । इन आठ-दस वर्षों तक ये लड़के-लड़कियाँ अपनी सेक्स की भूख को कैसे नियंत्रण में रख सकेंगे ? समय के इस अंतराल में इस भूख को संतुष्ट करने के लिए वे क्या नहीं करेंगे ?

अस्पताल में सुबह आठ बजे कृत्रिम भूख बढ़ाने वाली गोली खिला दी जाये और उस भूखे मरीज द्वारा भोजन माँगने पर दोपहर दो-तीन बजे का समय बता दिया जाए तो वह मरीज क्या करेगा ? कब तक सहेगा अपनी भूख ? और जब वह अपनी भूख को रोक नहीं पायेगा तो चोरी-छिपे सुबह आठ बजे से दिन के दो बजे तक बाहर की आलतू-फालतू की चीजें ही खाएगा । विचार करें, भोजन के समय से बहुत पहले भूख पैदा कर देने का अन्य और परिणाम क्या हो सकता है ?

प्राकृतिक रूप से भूख लगना और समयानुसार भोजन, स्वस्थ आरोग्य के लिए मान्य सिद्धान्त है । जिस प्रकार यह सिद्धान्त शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जितना सही है, उसी प्रकार उतना ही उपयुक्त यह सेक्स एवं सामाजिक स्वास्थ्य के संदर्भ में भी है ।

यौन-शिक्षा के रूप में भूख बढ़ाने वाली यह दवा यदि नई पीढ़ी को प्रदान कर दी जाती है, तो पूरा मानव समाज सेक्स के भूखे जानवरों से भरा विकराल जंगल बन जाएगा ।

[१९]
यौन-शिक्षण द्वारा एड्स का प्रतिकार : शेखचिल्ली का हवाई महल

एच.आई.वी.-एड्स से बचाव विद्यालयों में यौन-शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू करने से हरगिज नहीं होगा। परन्तु यदि क्षण भर के लिए मान भी लिया जाये कि इससे एच.आई.वी. के प्रसार पर रोक लग सकेगी, तब भी यह उपाय क्या समुचित रूप से व्यावहारिक है ?

कोई भी उपाय जिस तरह असरदार होना चाहिए, उसी तरह वह व्यावहारिक भी होना चाहिए। यौन-शिक्षा से उत्पन्न खतरनाक प्रतिक्रिया मिलनी निश्चित है, लेकिन इसमें व्यावहारिकता तो बिल्कुल ही नहीं है।

भारत के हर कोने के तमाम बच्चे यह शिक्षा प्राप्त करें तो ही भविष्य में अपेक्षित लाभ हो सकेगा।

पहली कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक करीब १० वर्ष तक यौन-शिक्षा का यह कार्यक्रम चलाया जायेगा। एक अरब से अधिक आबादी वाले इस देश में स्कूल जाने वाले करीब पन्द्रह करोड़ बालक हैं। ४० विद्यार्थियों के एक सेक्शन के हिसाब से गणना करें तो ३७ लाख ५० हजार वर्ग (सेक्शन) हुए। यदि एक शिक्षक पाँच वर्ग में सेक्स-एज्यूकेशन की शिक्षा प्रदान करे तो इतने वर्गों के लिए ७ लाख ५० हजार शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि

एक शिक्षक को ५००० रूपये मासिक का वेतन दिया जाए तो मासिक ३ अरब ७५ करोड़ रूपये और वार्षिक लगभग ४५ अरब रूपये के करीब शिक्षकों के वेतन पर ही खर्च हो जाएँगे ।

इन शिक्षकों को भी तैयार करने के लिये अनेक कार्यशालाएँ (शिबिर) आयोजित करने पड़ेंगे । इन कार्यशालाओं (शिबिरों) के आयोजन में भी करोड़ों रूपये खर्च होंगे, वह अलग । इन १५ करोड़ बालकों के लिए इस विषय की पाठ्य-सामग्री तैयार करने का खर्च भी अलग से होगा । जो बालक शिक्षा से वंचित हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं वे इस यौन-शिक्षा से भी वंचित रहेंगे । यदि यौन-शिक्षा एच.आई.वी. के विरूद्ध असरकारक उपाय साबित होता है, तो क्या वे बच्चे एच.आई.वी. के वाहक नहीं बनेंगे, जिन्हें यौन शिक्षा नहीं मिल सकी ?

जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर इस कार्य के लिये तैयार किये जाएंगे, वे इस विषय के साथ कितना न्याय कर सकेंगे, यह भी एक बड़ा प्रश्न है । यह विषय इतना नाजुक है कि शायद ही कोई शिक्षक पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इसे समझा सकेंगे और इस विषय का अस्पष्ट व अधूरा ज्ञान एच.आई.वी. के प्रसार को रोकने के बदले बढ़ाने का ही कारण बनेगा ।

यह हवा-महल न बनाने में ही सबसे अधिक भलाई है ।

[२०]
सर्वेक्षण और आंकड़ों का खेल : बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मायाजाल

एच.आई.वी. एड्स पैदा करने वाला भयानक वायरस है, इस सत्य की अवगणना नहीं की जा सकती । परन्तु आज उसकी वास्तविक भयानकता से भी अधिक भयों की पुकारें और भयानक दिखाई दे रही हैं । स्वस्थ और तटस्थ रह कर ही इस बात की भयानकता की सच्चाई का मूल्यांकन किया जा सकता है ।

आज राई का पहाड़ बनाकर भय का अतिरेक किया जा रहा है अथवा तो ऐसा करने के पीछे किसी का मलिन स्वार्थ भी कार्यरत होना संभवित है ।

एच.आई.वी. की भट्ठी पर स्थापित हितों को धारण करनेवाले अपनी रोटी सेंकने के लिए तत्पर बने हुए हैं, और वे स्वार्थी तत्त्व इसे कई गुना बड़ा बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं ।

अत्यन्त घातक और पीड़ाकारक कैंसर जैसे अनेक रोगों के आज हजारों-लाखों मरीज हैं । मात्र कैंसर पर ही विचार किया जाए तो कैंसर के भी अनेक प्रकार हैं, और प्रत्येक प्रकार के कैंसर के भारत में हजारों-लाखों मरीज हैं । भारत में प्रति ४० सेकन्ड पर कैन्सर से एक मृत्यु होती है । मात्र तम्बाकू सेवन के कारण पैदा होने वाले कैंसर में समस्त विश्व में भारत पहले स्थान पर है । देश की युवा पीढ़ी बहुत बड़ी संख्या में व्यसनों की गर्ता में गिरती चली

जा रही है । कानूनों के माध्यम से कड़े प्रतिबंध लगाकर व्यसनों को नियन्त्रित किया जाना चाहिये । परन्तु अफसोस ! इस दिशा में सरकार द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है । विद्यालय में व्यसन-मुक्ति का पाठ्यक्रम आरम्भ करने वाली सद्‌बुद्धि इस सरकार के मानस में जागती ही नहीं ।

देश की जनता के सामने एच.आई.वी.-एड्स का हौवा खड़ा कर सुरक्षित सेक्स के नाम पर देश के तमाम स्कूलों में यौन-शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू करवाने के पीछे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उत्पादित गर्भनिरोधकों (कोन्ट्रासेप्टिव्स) के लिये एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने की कुत्सित रणनीति है ।

यौन-शिक्षा के द्वारा सुरक्षित सेक्स के नाम पर किशोरों को कंडोम का ग्राहक बनाने की यह गंदी चाल ही है ।

इस रोग के फैलने के कारणों में वैज्ञानिक शोध व सर्वेक्षणों का भी हवाला दिया जाता है । इन सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता भी अनेक बार संदेहास्पद ही होती है । नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर द्वारा करवाये गये एक सर्वेक्षण के हवाले से यह कहलाया गया कि, 'भारत में २५ प्रतिशत किशोर और युवक विवाह से पूर्व ही सेक्स सम्बन्ध बना चुके होते हैं । गर्भनिरोधकों के उपयोग न करने से अशिक्षित युवाओं में असुरक्षित सेक्स सामान्य बात है ।'

इस सर्वेक्षण पर 'रेपिड रिस्पोन्स' में काफी मात्रा में ऐसे प्रतिभाव प्राप्त हुए कि "यह सर्वेक्षण झूठा और आधारहीन है ।" जिस प्रयोजन से सर्वेक्षण किया जाता है, उसके अनुरूप परिणाम निकले इस तरह से सर्वेक्षण 'मेनेज' किये जाते हैं । अन्यथा सर्वेक्षण करवाने वाली कम्पनी के हितों व व्यवसाय पर फर्क पड़ता है ।

सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता पर यह उदाहरण उल्लेखनीय है–

कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने आन्ध्रप्रदेश राज्य की सरकार को राज्य की भैंसों की गणना करवाने का आदेश दिया । थोड़े समय बाद राज्य सरकार ने यह गणना पूरी कर इसकी रिपोर्ट कोर्ट को सुपुर्द कर दी । इस सर्वेक्षण में यह बात बड़ी ही विचित्र थी कि, "राज्य में यांत्रिक कत्लखाना शुरू होने के बाद भैसों की संख्या में वृद्धि हुई है ।" रिपोर्ट का तात्पर्य यह था कि राज्य में यांत्रिक कत्लखाना चालू रहना चाहिए।

एक सेवाभावी संस्था ने जब अपने कार्यकरों द्वारा यह खोज की तो पता लगा कि, "किसी भी गाँव में कोई भी अधिकारी भैंसों की गणना करने के लिए गया ही नहीं ।" इस बात के समर्थन में लगभग २५० गाँवों के सरपंचों ने एफिडेविड देकर सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। विडम्बना यह है कि एयर-कंडीशंड ऑफिस में बैठे-बैठे ही गंदे स्वार्थ की सिद्धि के लिए सारे आंकड़े तैयार किये जाते हैं ।

भारत के तमाम बड़े अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं में खोज-बीन की जानी चाहिये की उनके यहाँ एच.आई.वी.-एड्स के कितने मामले पाये गये ? और उसका सर्वेक्षण करने के लिए सरकारी तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां कब वहां आई थी ? इससे इन सर्वेक्षणों की सत्यता का गुब्बारा फूट जायेगा ।

सर्वेक्षण की रिपोर्ट मानों कि प्रभु की वाणी हो गई और उसके आधार पर सरकार का निर्णय मानों कि ईश्वर का आदेश हो गया !

[२१]
एच.आई.वी.-एड्स : कितनी हकीकत, कितना हौवा ?

एड्स एक जानलेवा रोग है। एच.आई.वी. नाम का वायरस इसका मूल कारण है। मानव शरीर के रक्त, शुक्र, स्तन के दूध और रक्तस्राव आदि के द्वारा एच.आई.वी. फैलता है।

आज एड्स के नाम का जोरदार भय लोगों के बीच पैदा किया जा रहा है। किसी शत्रु को जिस प्रकार 'अंडर ऐस्टीमेट' नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार उसे बहुत बड़ा मान लेने का परिणाम भी घातक हो सकता है। एच.आई.वी.-एड्स के साथ भी यही हो रहा है। एड्स-निवारण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में देश की तमाम पाठशालाओं में प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को सेक्स एज्यूकेशन देने की हिमायत की जा रही है और उसकी आवश्यकता को स्थापित करने के लिए यह चित्र खींचा जा रहा है कि पूरे देश की बहुत बड़ी आबादी इस वायरस से ग्रस्त हो चुकी है, अथवा यह कहा जा रहा है कि यह वायरस बहुत तेज दर से फैल रहा है।

यहाँ वास्तविकता समझने की जरूरत है। जुलाई, २००५ तक भारत में एड्स के १,११,६०८ केस दर्ज किये गये। उनमें ७९,०४१ पुरुष और ३२,५६७ महिलाएँ हैं। इन १,११,६०८ में से १५ प्रतिशत के लगभग केस तो सेक्स के अलावा अन्य दूसरे कारणों से उत्पन्न हुए।

आयु वर्ग के हिसाब से भी इसे देखें तो कई सारी बातें खुल कर सामने आती हैं :

आयु वर्ग	पुरुष	स्त्री	कुल
००–१४	२,८६०	१,९९४	४,८५४
१५–२९	२१,७८२	१४,४०५	३६,१८७
३०–४९	४८,३४२	१४,५०८	६२,८५०
५०–++	६,०५७	१,६६०	७,७१७
कुल	७९,०४१	३२,५६७	१,११,६०८

उपर्युक्त तालिका पर नजर डालने से पता लगता है कि एड्स का सबसे ज्यादा प्रसार ३० से ४९ वर्ष के आयु-समूह में है, और सबसे कम संख्या प्रथम आयु-वर्ग में है। उल्लेखनीय बात तो यह है कि प्रथम आयु वर्ग में जिन्हें एड्स है, उनमें से अधिकांश तो माता-पिता की गलतियों के परिणाम भुगत रहे हैं।

सबसे बड़ी संख्या ३० से ४९ वर्ष के आयु वर्ग में है। ऐसे में विद्यालयों में यौन-शिक्षा को शुरू करने से क्या लाभ होगा ? १६ वर्ष तक की उम्र में मिली हुई शिक्षा का असर क्या ३०-३५ वर्ष बाद की उम्र तक स्थिर रहेगा ? युवावस्था में सहज उठने वाले आवेग के समय २०-२५ वर्ष पूर्व लिये हुए शिक्षण के पाठ वे याद रख सकेंगे क्या ? और यदि याद भी हो तो भी क्या यह शिक्षा उनके लिये उस उन्मादी क्षण में उपयोगी बन सकेगी ?

महत्त्व की दूसरी बात यह है कि एड्स के सबसे ज्यादा मामले (५२,०३६) तमिलनाडु के हैं। यहाँ साक्षरता का प्रतिशत बहुत अधिक है। जिन प्रदेशों में साक्षरता का प्रतिशत काफी अधिक है उनमें आंध्रप्रदेश में (इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी के क्षेत्र में जो भारत

में द्वितीय नंबर में है) १२,३४९ मामले, महाराष्ट्र में १३,७९७ मामले, गुजरात में ५,६३६ मामले और केरल जैसे सुशिक्षित राज्य में १,७६९ मामले दर्ज हैं ।

भारत की कुल ११० करोड़ की आबादी में एड्स के १,११,६०८ मामले हैं, जो देश की कुल आबादी का ०.०१ प्रतिशत भी नहीं है । इसकी दवा के रूप में राष्ट्र की आबादी की १५ प्रतिशत संख्या को प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में यौन-शिक्षा की खतरनाक खुराक देना पागलपन है या तार्किकता ? इसे बुद्धिमता तो कहा नहीं जा सकता ।

एक विश्वसनीय सर्वेक्षण के अनुसार प्रतिदिन २५०० लोग तम्बाकू सेवन के कारण उत्पन्न बीमारियों से मर रहे हैं । तम्बाकू के कारण वार्षिक ९ लाख लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं । इसके सामने एड्स से होने वाली मृत्यु तो नहीं के बराबर ही है ।

फिर भी एड्स के सन्दर्भ में बहुत ज्यादा हौवा खड़ा किया जा रहा है । अतः मन में बहुत आश्चर्य होता है । क्यों हो रहा है यह सब ?

[२२]
निश्चित ही दाल में कुछ काला है !

वेदों में 'ओज-क्षय' के नाम से एड्स का उल्लेख मिलता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को सन् १९५० में एड्स के बारे में जानकारी मिली। पिछले तीस-चालीस वर्षों में उसके बारे में भय और सजगता बढी, परन्तु सन् २००६ में एड्स-एच.आई.वी. का बहाना बनाकर सरकार ने स्कूलों में यौन-शिक्षा आरम्भ करने का विचार किया।

परन्तु अनेक तार्किक कारणों से यह समझा जा सकता है कि बच्चों को यौन-शिक्षा प्रदान करने से इस रोग का प्रसार घटने वाला नहीं है, अपितु और अधिक तेजी से बढ़ेगा ही। ब्रिटेन, अमेरिका इत्यादि देश इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

एक बात सर्वविदित है कि भारत सरकार यह कार्यक्रम स्वत:स्फूर्त प्रेरणा से नहीं चला रही है। इस परियोजना की प्रेरणा, प्रोत्साहन और आर्थिक सौजन्य के पीछे यूनाइटेड नेशन्स ऑरगेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑरगेनाइजेशन जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मुख्य रूप में है। इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की प्रेरकता ही अनेक शंकाओं और दु:शंकाओं को जन्म देती है।

अमेरिका व यूरोप की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादित कोन्ट्रासेप्टिव (गर्भ निरोधकों) के लिए भारत में एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवाने का यह स्वार्थ प्रेरित षड्यन्त्र तो नहीं है न ?

'कुछ भी करो, पर कंडोम का इस्तेमाल करो' यह विदेशी कंपनियों का सूत्र-वाक्य है। 'ऐसा कुछ भी मत करो', यह हमारा संदेश है, जो देश की आबो-हवा में बहता है। ऐसे देश की प्रजा

को दुराचार के मार्ग पर ढकेल कर अपने इस प्रकार के प्रोडक्ट थोप देने के लिए हमारी सरकार विदेशी तत्त्वों की गंदी स्वार्थनीति की पिट्ठू बनी हुई ही लगती है ।

यहाँ यह भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है – सेक्स एज्यूकेशन में किस बात की शिक्षा दी जायेगी ? सेक्स नहीं करने या अनैतिक सेक्स नहीं करने की तो शिक्षा नहीं दी जायेगी। सुरक्षित सेक्स के नाम पर बच्चों के सामने गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग का भूत खड़ा किया जा रहा है ।

अच्छी तरह से जान लिजिये – यही तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अपना स्वार्थ है !

यह इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी और तकनीकी ज्ञान का युग है। इस और ऐसे अन्य क्षेत्रों में आज भारत अग्रसर है । आज भारतीयों की विचक्षण बुद्धि का सर्वत्र बोलबाला है। इस बुद्धि की ताकत पर भारत प्रगति के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ता जा रहा है । भविष्य की एक महासत्ता के रूप में विश्व पटल पर इसका उदय हो चुका है।

सेक्स एज्यूकेशन के माध्यम से समूची नई पीढ़ी को उन्मार्ग की ओर ले जाकर देश के ब्रेन पावर को खत्म करने का यह अन्तरराष्ट्रीय षड्यंत्र ही कहा जा सकता है । नई प्रजा को निर्वीर्य और निस्तेज बनाकर देश को कंगाल व बेहाल बनाने वाली कूटनीति की गंध भारत सरकार की इस परियोजना में मिलती है ।

विदेशी सैलानी यहाँ आकर कोमल और कच्ची उम्र के बालकों का यौन शोषण करते हैं और उनमें उत्पन्न यौन विकृतियाँ एच.आई.वी. के प्रसार में सहायक बन रही है । यौन-शिक्षा के नाम पर सुरक्षित सेक्स का ज्ञान प्रदान कर कोमल व किशोर वय के लड़के-लड़कियों को देह-व्यापार के इस पेशे में उतारा जायेगा ।

बैंगकोक और थाईलैंड की तरह भारत को भी सेक्स-टूरिजम के बड़े बाजार के रूप में विकसित करने की यह विदेशी चाल है, ऐसा सुसंभवित है ।

[२३]
यूरोप और अमेरिका की नकल : मौत से खिलवाड़

शामजी पटेल ने नई-नई घोड़ी खरीदी । अब तक तो उन्हें सिर्फ गाय, बैल और भैंस पालने का अनुभव था । घोड़ी उनके लिये नई थी और उन्हे उसके लिए बहुत लगाव हो गया । शामजी पटेल उसकी खूब सेवा करते, परन्तु द्रव्य-विवेक और प्रमाण-विवेक न होने के कारण घोड़ी बीमार पड़ गई । अब घोड़ी के इलाज के बारे में भी उसे कोई अनुभव नहीं था, सो वह गाँव के ठाकुर के पास पूछने गया ।

शामजी पटेल ने ठाकुर से पूछा – 'ठाकुर जी ! आप की घोड़ी बीमार हुई थी तो आप ने क्या किया था ?'

ठाकुर ने कहा – 'मैंने उसे टर्पेन्टाइन पिलाया था ।'

इतना सुनते ही वह पटेल जल्दबाजी में वहाँ से भागकर सीधे बाजार गया, टर्पेन्टाइन खरीदा और लाकर घोड़ी को पिला दिया । टर्पेन्टाइन पीकर घोड़ी मर गई । पटेल फिर दौड़कर ठाकुर के पास गया और बोला – 'ठाकुर साहब ! टर्पेन्टाइन पिलाते ही मेरी घोड़ी मर गई ।'

ठाकुर ने कहा – 'मेरी घोड़ी भी मर गई थी !"

यौन-शिक्षा के मामले में भी भारत सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है । वह परिणाम देखे और जाने बिना ही देश के बालकों को

टर्पेन्टाइन पिलाने के लिए आतुर हो रही है ।

पश्चिमी राष्ट्रों की तर्ज पर चल कर स्कूलों में यौन-शिक्षा शुरू करवाने के लिए तत्पर बनी भारत सरकार वहाँ पर इस शिक्षा के कारण मचे हुए हाहाकार को भी देखने की थोड़ी कोशिश तो करे ।

आज ब्रिटेन में टीन-एज-प्रेग्नेंसी (किशोर वय में गर्भ-धारण) एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनी हुई है । इंग्लैंड में १५ से १८ वर्ष की आयु वर्ग की एक हजार लड़कियों में से ६५ लड़कियाँ गर्भवती हो जाती हैं । किशोर वय में गर्भाधान का यह प्रतिशत ६.५ है ।

यह आंकड़ा सन् १९९८ का है । इसमें एक ही वर्ष में ४ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और पिछले पांच वर्षों में तो यह स्थिति बेकाबू हो चुकी है ।

टीन-एजर्स में सेक्स-प्रवृति के कारण उपजी समस्या के निवारण के लिए हर विद्यालय में नर्स की नियुक्ति की गई है, जो कि विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़ने पर उचित गर्भनिरोधक के बारे में मार्गदर्शन देती है । आज वहाँ के स्कूल-परिसर में ही 'गर्भपात केन्द्र' खोलने तक की स्थिति बन चुकी है ।

बालकों को यौन शिक्षा प्रदान करते हुए शिक्षक भी अपने उन्माद को रोक नहीं पाते । बेकाबू होता यह उन्माद महिला टीचर्स द्वारा लड़कों के साथ और पुरुष टीचर्स द्वारा लड़कियों के साथ बलात्कार के रूप में परिवर्तित हो रहा है । आज यूरोप और अमेरिका में इस तरह की घटनाएं आम बात बन चुकी हैं ।

जैसी स्थिति ब्रिटेन की है, वही स्थिति यूरोप के अन्य देशों की भी बन चुकी है । सेक्स सम्बन्ध के ७२ घंटों बाद तक असर

करने वाली 'द मार्निंग आफ्टर पिल्स' फ्रांस की गली-गली में बिक रही है। टीन-एजर्स को यह आसानी से सुलभ हो सके, इसके लिए सरकार को विशेष रूप से व्यवस्था करनी पड़ रही है। फ्रांस में प्रति वर्ष १२ हजार 'अनवान्टेड-टीन-एज-प्रेग्नेंसी' के केस दर्ज हो रहे हैं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस के स्कूलों में सन् १९९३ से यह शिक्षा आरम्भ की गई थी। उसके बावजूद फ्रांस एवं अन्य यूरोपीय देशों में टीन-एज-प्रेग्नेंसी और एच.आई.वी. इन्फेक्शन की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है।

...और अब भी हम अपनी घोड़ी को टर्पेन्टाइन पिलाना चाहते हैं!

[२४]
शिक्षित भी रोग फैला सकते हैं, जरूरत है सज्जनों को पैदा करने की

शिक्षित व्यक्ति किसी प्रकार की गलती या अपराध नहीं करेगा, ऐसा सोचना ही मूलतः गलत है। जिसमें अपराधवृत्ति नहीं होती और जो सज्जन व्यक्ति होता है, वही किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं कर सकता, एसी अपेक्षा की जा सकती है। समझदार और सज्जन व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित, यह बात नगण्य है।

आज तम्बाकू, गुटका, सिगरेट आदि व्यसन कैंसर जैसी जालिम और जानलेवा बीमारियाँ पैदा करते हैं, इस बात की पूरी व अच्छी तरह से शिक्षित लोगों को जानकारी है। गुटके के पाउच और सिगरेट के पैकेट के उपर भी 'वैधानिक चेतावनी' के रूप में यह जानकारी दर्ज होती है। शिक्षित लोग इसे पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं और धड़ल्ले के साथ इसका उपयोग भी करते हैं।

दुष्ट मनोवृत्तियाँ, मलिन भावनाओं और नकारात्मक सोच पर शिक्षा और जानकारी कोई भी अंकुश नहीं लगा सकी है। हाँ, जीवन सुधारने की मार्मिक और हार्दिक प्रेरणा उनमें अवश्य ही परिवर्तन ला सकती है।

चोरी, हत्या और बलात्कार आदि अपराध करने वाले अपराधी, 'यह प्रवृत्ति गुनाह है, और इसे करने पर हम सजा के हकदार बन जायेंगे और हमें कैद, आजीवन कारावास एंव फांसी तक हो सकती

है ।' क्या उन्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है ? क्या कानून से अनभिज्ञ ही गुनाह करते हैं ?

एच.आई.वी.-एड्स का शिकार जंगल के आदिवासी या गाँव की टूटी-फूटी झोंपड़ियों में रहने वाले मजदूर ही नहीं बन रहे हैं । एड्स के शिकार लोगों में ऊँचे, सम्पन्न व शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्यादा है। ग्रेज्युएट, डबल-ग्रेज्युएट और उच्च पदों पर बैठे क्वालीफाइड और डिग्रीफाइड लोग भी इस रोग के भोग बने हैं । यहाँ तक कि मेडिकल साईंस के अध्ययन में जिंदगी के सात से दस वर्ष का समय गुजार देने वाले, जिनका व्यवसाय क्षेत्र चिकित्सा ही है वे भी एड्स के शिकार बने हैं । यहाँ शिक्षा और जानकारी किस काम आई ?

यदि अपनी भोग-वृत्तियों पर संयम न रख सके तो 'सर्जन' भी इस महारोग के भोग बन सकते हैं । परन्तु अपनी वृत्तियों को काबू में रखने वाला 'सज्जन', अशिक्षित ग्रामीण हो तो भी इससे अछूता ही रहेगा ।

आज यौन-शिक्षा प्रदान करने के बदले सदाचार और सद्विचार की सांस्कारिक शिक्षा देने की आवश्यकता है ।

[२५]

यदि किसी अनिष्ट पर अंकुश न लग सके तो उसे इष्ट नहीं मान लिया जाता

शरीर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में कितने ही अनिष्ट ऐसे हैं, जो कि निरंतर परेशानी का कारण बने रहते हैं। इन पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास भी किया जाता है, इनमें से अधिकांश पर काबू भी पा लिया जाता है, परन्तु कुछ अनिष्ट ऐसे भी होते हैं, जो कि बेकाबू होते हैं और निरंकुश बने रहते हैं। उन्हें काबू करने में सफलता नहीं मिल पाती। फिर भी उस अनिष्ट को किसी भी स्थिति में इष्ट नहीं माना जाता है।

स्कूलों में सेक्स-एज्यूकेशन का पाठ्यक्रम आरम्भ करने के संदर्भ में एक ऐसी ही मूर्खतापूर्ण दलील दी जाती है कि 'बुरी संगति, अश्लील साहित्य, ब्लू फिल्में आदि के द्वारा नई पीढ़ी को जो ज्ञान मिलता है, वह अवैज्ञानिक, अस्पष्ट, अधकचरा और आधा-अधूरा ही होता है। अतः एक विषय के रूप में इस नई पीढ़ी को सेक्स की परिपूर्ण और वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराई जाये।'

प्रथम बात तो यह कि यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत कर क्या गलत रास्तों से जानकारी प्राप्त करने की उन किशोर-किशोरियों की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है ?

वे जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करते। सच बात तो यह है कि बालक तुच्छ आनन्द और हलके मनोरंजन

के लिए ही कुसंगति, अश्लील साहित्य व गंदी फिल्मों के चक्कर में पड़ते हैं। क्या अब यह पाठ्यक्रम आरम्भ कर उनकी तुच्छ आनंद की मांग स्कूल में ही पूरी की जा सकेगी ?

शिक्षक की भाषा की और नाजुक विषय की मर्यादा को देखते हुए स्कूल में भी उन्हें अस्पष्ट और अधकचरा ज्ञान ही मिलने की पूरी-पूरी संभावना है।

अश्लील साहित्य और गंदी फिल्मों से बालक को विकृत शिक्षा मिल रही है तो आवश्यकता उन माध्यमों पर कड़ाई से अंकुश लगाने की है। इसके बदले सरकार यह खतरनाक कदम उठा रही है। इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है ?

... और महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यदि किसी अनिष्ट पर अंकुश नहीं लग पा रहा है तो भी उसे अपनाया तो नहीं ही जा सकता है। यदि किसी बुराई को कोई शिष्ट समाज स्वीकार कर लेता है तो अनिष्ट के प्रति जुगुप्सा ही खत्म हो जाती है, वह बुराई और अधिक विकराल बन जाती है।

कोई बालक बाहर देशी शराब ठर्रा पीकर घर आये तो क्या इसलिए माँ-बाप घर में उसे विलायती शराब पिलाते हैं ? यदि पूर्णतः शाकाहारी परिवार का बच्चा होटल में मांसाहारी भोजन खाता है, तो क्या उसके लिए घर में मांसाहारी भोजन तैयार किया जाता है ?

आज आतंकवाद काबू में नहीं आ रहा तो क्या सरकार उसे सरकारी मान्यता प्रदान कर देगी ?

विद्यालयों में यौन-शिक्षा का पाठ्यक्रम आरम्भ करने के सरकार के निर्णय में व्यावहारिकता तो है ही नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता भी संदेहास्पद है।

[२६]
आचरणहीन शिक्षा व्यर्थ है

विद्यालयों में यौन शिक्षा शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य एच.आई.वी.-एड्स के प्रसार पर अंकुश लगाने का है। परन्तु यह शिक्षा क्या इस उद्देश्य को पूरा कर सकेगी ?

जातीय उत्तेजना के क्षण आमंत्रित नहीं होते। ये तो आकस्मिक होते हैं। सेक्स-क्रिया अत्यधिक उत्तेजना, संवेदना और भावावेश का परिणाम होती है। ऐसे आवेश या उन्माद के समय सारा ज्ञान और जानकारी किसी एक कोने में सिमट कर रह जाती है।

ऐसे क्षणों में परिणाम का विचार करवाने वाला विवेक भी समाप्त हो जाता है। विद्यालय में भले ही कितने ही सुरक्षित सेक्स के नियमों व सावधानियों का ज्ञान दे दिया जाये, पर उत्तेजना के क्षणों में जरूरी साधनों के अभाव में वे अपने आवेग को रोक सकेंगे क्या ?

असुरक्षित सेक्स के भय स्थानों का ज्ञान होते हुए भी कामावेश के अवसर पर क्या वह अपने आप को रोक पाएगा ? ऐसे नाजुक क्षणों में वह उन भय-स्थानों से मुक्त हो सकेगा ?

अमलीकरण के बिना शिक्षा व्यर्थ है, किंतु शिक्षा के बिना भी अमलीकरण तो संभव है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अनुकूल सामाजिक पर्यावरण।

विद्यालयों में 'मॉरल साईंस' के विषय में नैतिकता की

महिमा का पुरजोर बखान किया जाता है। परन्तु परीक्षा-कक्ष में इसी विषय की परीक्षा के समय भी वही सारी नैतिकतायें धरी की धरी रह जाती हैं। कारण है हमारा प्रतिकूल सामाजिक पर्यावरण। मार्क्स, परसेंट, रैंक का महत्व परीक्षा-कक्ष में नकल व चोरी करने के लिए बाध्य करता है। जिस समाज में पैसा पूजा जायेगा और प्रतिष्ठा का कारण बना रहेगा, वहाँ अनीति ही निवास करेगी और नैतिकता के पाठ पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित रहेंगे।

अश्लील पोस्टरों, गंदे सीरियल, ब्लू फिल्में, इंटरनेट की पोर्नोग्रॉफिक साइटें, अभद्र एस.एम.एस., अश्लील एम.एम.एस., अभद्र वेशभूषा जैसे कामवासना को निरंकुश बनाने वाले प्रदूषित सामाजिक पर्यावरण में यौन-शिक्षा से सुशिक्षित बने हमारे समाज में एच.आई.वी.-एड्स बडे ठाठ से अपना रूआब जमाएगा। नैतिक शिक्षा के पाठों की तरह ही यौन-शिक्षा के पाठ भी पाठ्य-पुस्तकों में ही धरे रह जायेंगे।

[२७]

नुकसान निश्चित, लाभ संदेहास्पद : यह दुःसाहस है या मूर्खता ?

किसी भी प्रकल्प को हाथ में लेने से पहले उसका संपूर्ण फलक देखना जरूरी होता है । एच.आई.वी.-एड्स के प्रसार को रोकने के लिए बेतहाशा करोड़ो रूपये खर्च कर पाठशालाओं में यौन-शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रकल्प सरकार हाथ में ले रही है । इस संदर्भ में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस योजना का स्कोप कितना है ? कार्यक्रम का मूल उद्देश्य सफल होगा क्या ? क्या इस योजना के टार्गेट ग्रुप – सभी बच्चों तक यह पाठ्यक्रम पहुँच सकेगा ? जो यह शिक्षा ग्रहण करेंगे, वे इन शिक्षाओं और जानकारियों के प्रति अपने आने वाले जीवन में कितने वफादार रहेंगे ?

यह प्रश्न यहाँ इसलिए उपस्थित हो रहा है, क्योंकि एच.आई.वी.-एड्स के वाहक / रोगी, वर्गों के अनुसार दो ही सामाजिक वर्ग के लोग हैं । प्रथम तो वे लोग हैं, जो कि बहुत ही निम्न स्तर पर जीवन यापन करते हैं, जैसे कि मिल और कारखानों में काम करने वाले मजदूर / कारीगर तथा झोंपड़पट्टियों में निवास करने वाले सामाजिक रूप से पिछड़े और बहुत ही निम्न आय वर्ग के लोग । इस वर्ग के बच्चे छोटी उम्र में ही मजदूरी या नौकरी करना शुरू कर देते हैं । वह स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि उनके अभिभावक

उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते या फिर वे पढ़ाई-लिखाई जरूरी नहीं समझते । ऐसे परिवार का बालक या तो पढ़ाई करता ही नहीं, या फिर आधे-अधूरे में ही छोड़ देता है । अत: विद्यालय में यौन-शिक्षा का कार्यक्रम निश्चित किया जाय तो भी उसके जीवन में इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ।

एच.आई.वी.-एड्स का वाहक दूसरा वर्ग है – उच्च आय वर्ग के धनाढ्य लोगों का । इस वर्ग में धनाढ्य व विलासी मनोवृत्ति वाले लोग, परिवार से दूर रह कर नौकरी करने वाले सरकारी अधिकारी, महीनों तक परिवार से दूर रहते हुए सरहद व अन्य दूसरे स्थानों पर अपना कर्तव्य निभाते सैनिक जवान, आदि हैं ।

अनैतिक सम्बन्धों, समलैंगिक सम्बन्धों अथवा अनेक के साथ शारीरिक सम्बन्ध रखने का क्या दुष्परिणाम आयेगा, इससे वे अच्छी तरह से परिचित होते हैं । परन्तु अपने आवेगों को काबू में रख पाने की क्षमता उनमें नहीं होती । ऐसे वर्ग को भी यौन-शिक्षा प्रदान करने का क्या लाभ है ?

यौन-शिक्षा आरम्भ करने में खतरा और नुकसान तो पूरा और सुनिश्चित है । लाभ की दृष्टि से देखा जाये तो उसे संदेहास्पद ही माना जायेगा ।

यौन-शिक्षा आरम्भ करने का सरकार का यह निर्णय साहस तो नहीं कहा जा सकता, इसे दु:साहस भी नहीं कहा जा सकता, इसके लिए 'मूर्खता' से अधिक योग्य शब्द हो ही नहीं सकता ।

[२८]

विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक सभी यौन शिक्षा के खिलाफ हैं

जहाँ यौन वृति गुप्त और अंतरंग मानी जाती है, जहाँ यह क्षोभ और शर्म का विषय है, और जहां मुक्त यौन-व्यवहार के साथ अपराध-भाव जुड़ा हुआ है, ऐसे इस देश की आबोहवा में पैदा हुआ बालक कितना नि:संकोच होकर यह यौन-शिक्षा ग्रहण कर सकेगा ? क्या ऐसे देश के माता-पिता अपनी संतानों के लिए इस शिक्षण-प्रदान को विधिवत् सम्मति-प्रदान कर सकेंगे ? विद्यालय में विद्यार्थी-समूह या बच्चों के बीच शिक्षक नि:संकोच भाव से शिक्षण प्रदान कर सकेंगे ?

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनेक समाचार-पत्रों ने इस संदर्भ में लोगों की प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की हैं और अनेक बार खुली परिचर्चाओं का आयोजन किया है । इन परिचर्चाओं और प्रतिक्रियाओं में बहुत बड़ी संख्या में शिष्ट और सभ्य नागरिकों ने विद्यालयों में यौन-शिक्षा का कार्यक्रम आरम्भ किये जाने के विरुद्ध अपना प्रखर विरोध दर्ज किया है ।

'गल्फ न्यूज' नाम के समाचार-पत्र ने एक बड़ा 'पब्लिक ओपिनियन पोल' आयोजित किया और उसने इसका निष्कर्ष इस रूप में प्रकाशित किया कि अभिभावक व शिक्षक, दोनों ही सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हैं ।

नोएडा के एक स्कूल के प्राचार्य इस संदर्भ में अपनी

प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि "प्राथमिक कक्षा से विद्यालयों में यौन-शिक्षा आरम्भ करने का सरकार का निर्णय बेहूदा और बेढंगा है। यह तो विद्यार्थियों के दिमाग में गैरजरूरी और गलत वृत्तियों के बीज बोने जैसा है। यह शिक्षा बालकों का ध्यान मूल उद्देश्य से भटका कर उनकी अध्ययन-रुचि को समाप्त कर देगी।"

अब एक ऐसी माँ की प्रतिक्रिया देखिये, जिसका दस वर्ष का बेटा व आठ वर्ष की बेटी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रही है। वह कहती हैं – "शिक्षाशास्त्री ऐसी बातें सोचते हैं तो वो भी आश्चर्य की बात है। आज तो गैरजरूरी विषयों की शिक्षा के बोझ को कम करने की जरूरत है। ऐसे में युवा मानस को भ्रष्ट करने वाले इस नये विषय की शिक्षा आरम्भ करने का विचार क्यों ? इससे किसी का कोई हित तो नहीं होने वाला, पर नुकसान बहुत बड़ा है।"

'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के 'लेटर-टू-एडीटर' कॉलम में यू.एस.ए. के रणवीर सिंह का पत्र प्रकाशित हुआ है। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए वे लिखते हैं– 'बेशर्म लोग ही ऐसे निर्णय कर सकते हैं। सरकार की यह करतूत घर-घर में रावण पैदा करेगी और देश की कोई भी नारी सुरक्षित नहीं रहेगी।'

दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा १५ वर्षीय विद्यार्थी सुबीर सिरोही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहता है– 'मैं और मेरी चचेरी बहन एक ही क्लास में साथ पढ़ते हैं। इस विषय की क्लास में एक साथ बैठना हम दोनों के लिए मानसिक क्षोभ का कारण ही बनेगा। ऐसे विषयों की शिक्षा स्कूल में देना कहां तक उचित है ?'

आज सेक्स एजूकेशन की स्थिति इस देश में 'अनवांटेड गेस्ट' (अवांछित अतिथि) जैसी है।

[२९]

विद्यालय में विद्यार्थियों को 'यौन'-शिक्षा की नहीं, 'योग'-शिक्षा की जरूरत है

आज देश की नई पीढ़ी फिल्म स्टार्स व स्पोर्टस स्टार्स के पीछे पागल बनी हुई है। वह सचिन, धोनी और सानिया की फैन है। ऐसे युग में एक आनन्द व आश्चर्य पैदा करने वाली बात यह है कि बाबा रामदेव जैसे योग-गुरु के पीछे भी हजारों-लाखों युवा हैं, जो उनके प्रशंसक हैं। बाबा रामदेव ने विभिन्न प्रकार के योगासनों द्वारा शरीर को स्वस्थ एवं रोगमुक्त बनाने का क्रेज (उत्साह) युवा पीढ़ी में उत्पन्न किया है।

यही योग-गुरु बाबा रामदेव जी यौन-शिक्षा के विषय में सरकार के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया बहुत सुन्दर तरीके से व्यक्त करते हुए कहते हैं– 'देश की युवा पीढ़ी को यौन-शिक्षा की नहीं, योग-शिक्षा की जरूरत है।'

बाबा रामदेव जी का यह अभिमत बहुत ही सुन्दर और व्यावहारिक है। शरीर को समाप्त करने वाले वायरस ऐड्स से बचने के लिए यौन-शिक्षा का शिक्षण एक नकारात्मक सोच है। इसके बदले योग-शिक्षा के द्वारा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में अभिवृद्धि की सोच सकारात्मक है। नई पीढ़ी को सात्त्विक, सांस्कारिक और सुदृढ़ बनाने वाला यह तार्किक और तात्त्विक अभिप्राय है।

यह हमारे सामाजिक जीवन के लिये जितना असरकारक है, उतना ही व्यावहारिक भी है।

योग विद्या शरीर को सक्षम और सुदृढ़ बनाती है। वह मन की मलीनताओं का विसर्जन कर मन को पवित्र बनाती है। योग के प्रयोग से मन सहज रूप से संयमित रहता है। इन्द्रियाँ भी संयम में रहती हैं। योग साधक का मन निरोगी रहे तो आने वाला कोई भी वायरस शरीर को किसी भी भयानक रोग से भयाक्रान्त नहीं कर सकता। सच बात तो यह है कि आज समस्त भारत के विद्यालयों में योग-विद्या का शिक्षण आरम्भ करने की तुरन्त आवश्यकता है।

प्रतिदिन प्रातः बेला की शुद्ध हवा में सूर्य नमस्कार करने वाला शरीर स्वस्थ रहता है। सूर्य नमस्कार ही क्यों, आप पद्मासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, शलभासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, बद्धपद्मासन, शीर्षासन व शवासन जैसे आसन भी कर सकते हैं।

योगासन करने के बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम से शरीर का प्रत्येक कोष प्राणवायु से भर जाता है, नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। शरीर में प्राणवायु का संचार होते ही विषैले तत्त्व समाप्त हो जाते हैं। पेट और फेफड़ों के स्नायुतंत्रों का व्यायाम होता है।

प्राणायाम के साथ ध्यान भी किया जाये तो शरीर और मन की शक्तियों में आशातीत वृद्धि होती है। मन की एकाग्रता बढ़ती है और चंचलता दूर चली जाती है।

ऐसे चमत्कारों से भरी योग-विद्या को छोड़कर समूची नई पीढ़ी को निस्तेज करने वाली यौन-शिक्षा की हिमायत करना कौन सी बुद्धिमत्ता है ?

[३०]

यौन-शिक्षा और भारतीय संस्कृति की राशियाँ आपस में नहीं मिलतीं

इस देश की सांस्कृतिक आबोहवा अनोखी है। शील तथा सदाचार की सुवास यहाँ के वातावरण में फैली हुई है। पवित्रता के आदर्श यहाँ आज भी पूज्य हैं।

यहाँ ब्रह्मचर्य एवं पवित्रता की बहुत बड़ी महिमा है। शील तथा सदाचार यहां ऊँचे जीवन मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पर-स्त्री-गमन यहाँ पाप माना जाता है। स्व-पत्नी के प्रति समर्पण और संयमित संबंधों का महिमागान यहां किया गया है। 'पर-स्त्री माता के समान होती है', यह लोकोक्ति यहाँ पर लोगों के केवल होठों पर ही नहीं, उनके हृदय में बसती है। उनके जीवन का हिस्सा है। लज्जा और शर्म जीवन-रक्षक तत्त्वों के रूप में यहां के वातावरण में अपना महत्वपूर्ण अस्तित्व रखते हैं। अविवाहित अवस्था को यहाँ पर कुमारावस्था व कुमारी-अवस्था के रूप में उल्लेखित किया जाता है।

इस कौमार्य का सम्बन्ध यहाँ अखण्ड पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है। 'कुंवारी-माता' जैसे शब्द यहाँ के शब्द-कोष में और जीवन-कोष में नहीं है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं, सांस्कृतिक परम्पराओं और धार्मिक वृत्तियों के कारण यौन-वृत्ति पर नियंत्रण हमारी जीवन-शैली का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

परन्तु, पश्चिमी आबोहवा इसके बिलकुल विपरीत है। वहाँ यौन-संबंधों में 'अनैतिक' जैसे किसी शब्द के लिये कोई स्थान नहीं है। वहाँ यह सब अनैतिक नहीं, बल्कि सहज बात मानी जाती

है । बिना विवाह किये हुए जोड़ों का एक साथ रहना व उन्मुक्त स्वच्छंद भी सामान्य बात है ।

विवाहेतर संबंध वहाँ कोई बुरी बात नहीं है । कुंवारी माता होना भी वहाँ कोई कलंक नहीं माना जाता । बारह-चौदह वर्ष की उम्र के लड़के-लड़कियाँ वहाँ माता-पिता बन जाते हैं । ११ वर्ष के बालकों को हमारे यहाँ जिस तरह सर्दी से बचने के लिए स्वेटर व मोजे पहनने के लिए कहा जाता है, उतनी ही सहजता से वहाँ उस उम्र के बच्चे को कंडोम का उपयोग करने की शिक्षा व सलाह दी जाती है। वहाँ स्कूल परिसर में गर्भ-निरोधक साधनों के वितरण केन्द्र और एबॉर्सन-सेंटर (गर्भपात केन्द्र) खुल गये हैं ।

व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ टीन-एज प्रेग्नेन्सी (कच्ची उम्र में गर्भधारण) एक खतरनाक समस्या बन चुकी है। फिर भी वहाँ टीन-एज सेक्स को गलत नहीं माना जाता है । टीन-एजर्स वहाँ गर्भनिरोधकों का उपयोग करें तो उसे सदाचार की चरम सीमा कहा जाता है । परन्तु वहाँ इस सीमा या मर्यादा का भी अनुपालन नहीं होता है । इस विकृत वातावरण में उन्हें सेक्स ऐज्यूकेशन जरूरी लगता है तो उन्हें मुबारक हो, लेकिन हमारी आबोहवा में यह अत्यन्त हानिकारक है ।

यह वह देश है, जहां ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले महानुभाव राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि सर्वोच्च पदों को सुशोभित करते रहे हैं, और पश्चिम के वे एसे राष्ट्र हैं कि जहाँ 'माता' और 'पिता' भी कुंवारे हो सकते हैं !

प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन आता है तो भोजन व कपड़ों में भी परिवर्तन आ जाता है । ऐसे में जब सांस्कृतिक वातावरण में काफी मात्रा में परिवर्तन है तो दोनों जगह (भारत और विदेशों में) समान-आचरण किस प्रकार से स्वीकार्य होगा ?

[३१]

यौन-विषयक मार्गदर्शन डॉक्टरों का कार्य-क्षेत्र है, शिक्षकों का नहीं

विद्यालयों में यौन-शिक्षा का पाठ्यक्रम आरम्भ करने की आज भारत सरकार जोर-शोर से हिमायत कर रही है। यौन-शिक्षा के माध्यम से बालकों को जातीय-स्वास्थ्य के संदर्भ में मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने का विचार है।

सबसे पहले तो यह बात ही आश्चर्य उत्पन्न करती है कि 'सैक्सुअल-हेल्थ' को 'फिजिकल-हेल्थ' से अलग कैसे माना जा सकता है? सैक्सुअल-हेल्थ को एक अलग पहचान उपलब्ध कराने की आवश्यकता क्यों? क्या अलग पहचान दे देने मात्र से ही यह शारीरिक आरोग्य से अलग हो जायेगा?

विद्यालयों में प्रस्तावित यौन-शिक्षा का अध्यापन क्या प्रशिक्षित डॉक्टर करेंगे?

शारीरिक आरोग्य से सम्बन्धित मार्गदर्शन देने का अधिकार केवल एम.बी.बी.एस या एम.डी. डॉक्टरों का ही हो सकता है। बी.एड. या एम.एड. की डिग्री वाले शिक्षकों का नहीं। क्या इन शिक्षकों को इस संदर्भ में कोई विशेष डिग्री-कोर्स कराया जा रहा है? अथवा मात्र कुछ दिनों का प्रशिक्षण देकर ही उन्हें इस कार्य के लिए तैयार कर दिया जा रहा है? वस्तुतः देश के हजारों-लाखों विद्यार्थियों के शारीरिक आरोग्य के संदर्भ में विषयगत रूप से अल्पज्ञानी और अनुभवहीन शिक्षकों द्वारा दिया जाने वाला मार्गदर्शन

अंततः बच्चे को कुमार्गी ही बनाएगा ।

चिकित्सा के व्यवसाय में प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर भी यदि अनुभवहीन है तो वह मरीज की जान का दुश्मन बन सकता है । ऐसे में जो न तो चिकित्सक हैं और न ही जिन्हें शरीर-विज्ञान की कोई विशेष जानकारी है, उन शिक्षकों को यह अनधिकृत गम्भीर जिम्मेदारी सौंपना बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जा सकता ।

ऑप्थोमोलोजिकल हेल्थ एज्यूकेशन (नेत्र-संबंधी), आर्थोपोडिक (हड्डियों से संबंधित) या कॉर्डियक (हृदय से संबंधित) हेल्थ एज्यूकेशन जैसे विषयों का विद्यालय में शिक्षण परम्परागत शिक्षक कर सकते हैं क्या ? यदि नहीं तो फिर यौन-शिक्षा जैसे वैज्ञानिक-विषय का शिक्षण ये शिक्षक कैसे करेंगे ?

कितना ही क्वोलिफाइड व अनुभवी शिक्षक क्यों न हो, यदि उसे शरीर विज्ञान की जानकारी नहीं है तो वह आम आदमी के बराबर ही माना जायेगा । सैक्सुअल-हेल्थ तो पूरी तरह शरीर विज्ञान का कार्य क्षेत्र है । अत्यन्त योग्य एम.डी. या एम.एस. डॉक्टर मैनेजमेंट के कॉलेज में बिजनेस-मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स विषय का लेक्चर देगा तो उसका परिणाम क्या होगा ? क्या वहाँ अनर्थ नहीं होगा ? इसीलिए यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है, 'जिसका काम उसी को साजे' ।

विद्यालयों में यौन-शिक्षा का आरम्भ कर देश के लाखों बालकों के स्वास्थ्य के साथ खतरनाक खेल खेलने वाली यह हरकत किसी भी रूप में सहनीय और स्वीकार्य नहीं हो सकती ।

आज आवश्यकता है कि पूरे देश में यौन-शिक्षा के विरोध में प्रचण्ड आंदोलन खड़ा किया जाए ।

[३२]
जागृति यज्ञ में हमारा क्या योगदान हो ?

* विद्यालयों के संचालक सेक्स-एज्यूकेशन (यौन-शिक्षा) को अपने विद्यालय में स्थान न देने को कटिबद्ध हों ।

* इस विषय की शिक्षा देने के द्वारा अपने स्तर को और गरिमा को पतित न होने देने के लिये सभी शिक्षक संकल्पबद्ध हों; और सभी स्कूलों के शिक्षक-वृंद द्वारा सभी शिक्षकों के हस्ताक्षर के साथ का एक आवेदन-पत्र केन्द्र सरकार तथा राज्य के शिक्षा-मंत्री को भेजा जाय ।

* प्रत्येक स्कूल के अभिभावक-मंडल इस शिक्षा द्वारा उनकी संतानों के चरित्र व करियर पर होनेवाली घातक असर के प्रति अपना प्रचंड प्रकोप एक संयुक्त आवेदन-पत्र के रूप में सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें ।

* नयी पीढी के चरित्र की रक्षा को अपना कर्तव्य समझ कर सभी संत व सन्यासी व कथाकार / प्रवचनकार अपने व्याख्यानों में इस विषय पर चेतावनी का सुर प्रवाहित करें ।

* साहित्यकार व पत्रकार लोक-जागृति और प्रजा की संस्कार-शुद्धि के प्रति अपनी निष्ठा व कर्तव्य निर्भिकता से अदा करें ।

* समाज के अग्रणी और विविध संस्थाओं के संचालक अपने कर्तव्य की ओर लक्ष रखकर समाज को एक प्रचंड विक्षोम से बचाने को जरुरी कार्यवाही करें ।

* संसद-सदस्य, विधान-सभा सदस्य, नगर-सेवक, नगरपालिका आयुक्त, जिलाधीश, मामलतदार, पुलिस-अधिकारी वगैरह जो विशिष्ट सार्वजनिक पदों पर आसीन हैं, वे सभी जातीय-शिक्षा के विरोध में एक नकारात्मक प्रचंड ध्वनि सरकार के कान तक पहुँचायें ।

* डॉक्टर, वकील, मानस-शास्त्री, शिक्षा-विद् और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग बाल-मानस के लिये अत्यंत विकृतिकारक इस शिक्षा के विरुद्ध समाज में खलबली पैदा करें - समाज को सही दिशा दिखायें ।

* भारत में यौन-शिक्षा को प्रोत्साहित करने के पीछे यू.एन., युनिसेफ, डब्ल्यू. एच. ओ. इत्यादि वैश्विक संस्थाओं की कुत्सित चाल का प्रजा के समक्ष राष्ट्र-प्रेमी विचारक भंडा-फोड़ करें ।

* इस विषय की शिक्षा से हमारा सर्वांगीण अहित होगा, इस बात को समझ कर यह शिक्षा नहीं लेने का सामुहिक संकल्प विद्यार्थी वर्ग करे ।

* यह पुस्तक पढ़ने के बाद इसे कम से कम पाँच अन्य लोगों को पढ़वाने का संकल्प हरेक पाठक करे ।

स्कुलो में जातिय शिक्षण प्रवर्तमान करने का
एक घातक विचार सुनामी की तरह
धसमता हुआ अमल में आ रहा है !
यह विचार आचार बनेगा तो...

- नयी पीढ़ी का सदाचार यातायात होगा
- उनकी कारकिर्दी जोखम में आयेगी
- कुटुंब-संस्था में विक्षेप होगा
- लज्जा एवं शर्म की मर्यादा तुटेगी
- युरोप-एमेरिका के टीनेजर्स जैसी गंभीर समस्याएँ यहाँ भी आयेगी
- नयी पीढ़ी शारीरिक व मानसिक विकृतिओं का भोग बनेगी
- बहोत सारे दूषणों से समाज में खलबली मचेगी

यह घातक सुनामी से समाज को सावधान
करने जाहिर किया जाता है

रेड एलर्ट